
अध्याय-1
राज्य सरकार के वित्त

अध्याय - 1

राज्य सरकार के वित्त

यह अध्याय वर्ष 2016-17 के दौरान राज्य सरकार के वित्त पर लेखापरीक्षा परिदृश्य प्रस्तुत करता है तथा पिछले पाँच वर्षों के दौरान समग्र प्रवृत्तियों को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 2015-16 के सापेक्ष मुख्य राजकोषीय संचय में परिवर्तनों का विश्लेषण करता है।

यह विश्लेषण झारखण्ड सरकार (झा.स.) के वित्त लेखे में दिये गये विवरणों पर आधारित है।

1.1 सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.)¹

वर्तमान मूल्यों तथा स्थिर मूल्यों (आधार वर्ष: 2011-12) पर भारत के सकल घरेलू उत्पाद (स.घ.उ.) तथा राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) के वार्षिक वृद्धि की प्रवृत्तियाँ तालिका 1.1 में दिये गये हैं।

तालिका 1.1: भारत का स.घ.उ. तथा राज्य का स.रा.घ.उ.

वर्ष	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
वर्तमान मूल्यों पर भारत का स.घ.उ. (₹ करोड़ में)	99,44,013	1,12,33,522	1,24,45,128	1,36,82,035	1,51,83,709
वर्तमान मूल्यों पर भारत के स.घ.उ. की वृद्धि दर (प्रतिशत)	13.82	12.97	10.79	9.94	10.98
वर्तमान मूल्यों पर राज्य का स.रा.घ.उ. (₹ करोड़ में)	1,74,724	1,88,567	2,18,525	2,31,294	2,53,536
वर्तमान मूल्यों पर स.रा.घ.उ. की वृद्धि दर (प्रतिशत)	15.77	7.92	15.89	5.84	9.62
स्थिर मूल्यों पर राज्य का स.रा.घ.उ. (₹ करोड़ में)	1,63,250	1,65,816	1,86,534	1,97,536	2,12,721
स्थिर मूल्य पर स.रा.घ.उ. की वृद्धि दर (प्रतिशत)	8.17	1.57	12.49	5.90	7.69

स्रोत: सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा दिनांक 01.08.2017 को जारी स.घ.उ./ स.रा.घ.उ. के आंकड़े।

राज्य की रूपरेखा परिशिष्ट 1.1 में दिया गया है। सरकारी लेखाओं के संरचना की व्याख्या भाग 'क' में तथा वित्त लेखाओं का अभिन्यास भाग 'ख' में है।

¹ स.घ.उ. एवं स.रा.घ.उ. क्रमशः देश एवं राज्य के भीतर एक तय समय में उत्पादित सभी अधिकृत मान्यता प्राप्त तैयार पूर्ण सामग्रियों एवं सेवाओं के बाजार मूल्य हैं और देश एवं राज्य की अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण संकेतक हैं।

1.1.1 2016-17 में राजकोषीय लेन-देनों का सारांश

तालिका 1.2 2015-16 के सम्मुख 2016-17 के दौरान राज्य सरकार के राजकोषीय लेन-देनों का तुलनात्मक सारांश प्रस्तुत करता है। परिशिष्ट 1.4 भाग-क 2016-17 के दौरान प्राप्तियों एवं संवितरणों के सार के साथ-साथ समग्र राजकोषीय स्थिति दर्शाता है।

तालिका 1.2: वर्ष 2016-17 के राजकोषीय संचालनों का सारांश

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियाँ	2015-16	2016-17	संवितरण	2015-16	2016-17		
					गैर-योजना	योजना	कुल
खण्ड क : राजस्व							
राजस्व प्राप्तियाँ	40,638.35	47,053.93	राजस्व व्यय	36,552.83	22,895.38	22,193.66	45,089.04
स्वयं का कर राजस्व	11,478.95	13,299.25	सामान्य सेवायें	12,002.43	12,742.66	281.10	13,023.76
कर-भिन्न राजस्व	5,853.01	5,351.42	सामाजिक सेवायें	14,843.81	6,042.46	12,514.91	18,557.37
संघीय कर एवं शुल्क	15,968.75	19,141.92	आर्थिक सेवायें	9,706.59	4,110.26	9,397.65	13,507.91
भारत सरकार से अनुदान	7,337.64	9,261.35	सहायता-अनुदान अंशदान	0.00	0.00	0.00	0.00
खण्ड ख : पूँजीगत							
विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	0.00	0.00	पूँजीगत परिव्यय	8,158.51	47.05	10,813.63	10,860.68
ऋणों व अग्रिमों की वसूलियाँ	31.06	38.46	संवितरित ऋण व अग्रिम	7,480.00	77.14	1,257.92	1,335.06
अंतर्राज्यीय परिशोधन	0.00	0.00	अंतर्राज्यीय परिशोधन	0.00	0.00	0.00	0.00
लोक ऋण प्राप्तियाँ	13,244.65	7,081.42	लोक ऋण का पुनर्भुगतान	2,245.93	2,077.88	0.00	2,077.88
आकस्मिकता निधि में अंतरण	0.00	0.00	आकस्मिक निधि से व्यय	0.00	0.00	0.00	0.00
लोक लेखा प्राप्तियाँ [#]	29,036.72	22,051.80	लोक लेखा संवितरण [#]	27,053.00	16,819.82	0.00	16,819.82
रोकड़ का आरंभिक शेष	444.21	1,904.72	रोकड़ का अंत शेष	1,904.72	1,947.85	0.00	1,947.85
कुल	83,394.99	78,130.33	कुल	83,394.99	43,865.12	34,265.21	78,130.33

स्रोत: वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 के वित्त लेखे

*अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अधीन निवल लेन-देन को छोड़कर

#आँकड़ों में 'अन्य लेखे' यथा विभागीय रोकड़ शेष, स्थायी अग्रदाय एवं रोकड़ शेष निवेश के अंतर्गत लेन-देन सम्मिलित नहीं हैं।

स.रा.घ.उ. के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियाँ(रा.प्रा)/राजस्व व्यय(रा.व्य.)/पूँजीगत व्यय (पूँ.व्य) की प्रवृत्तियाँ तालिका 1.3 में प्रस्तुत किये गये हैं।

2016-17 के दौरान महत्वपूर्ण परिवर्तन निम्न हैं:

तालिका 1.3: स.रा.घ.उ. के सापेक्ष रा.प्रा./रा.व्य./पूँव्य. की प्रवृत्तियाँ

विवरण	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	औसत
स.रा.घ.उ. के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियाँ						
वर्तमान मूल्यों पर रा.प्रा. (₹ करोड़ में)	24,770	26,137	31,565	40,638	47,054	-
वर्तमान मूल्यों पर रा.प्रा. की वृद्धि दर (प्रतिशत)	10.48	5.52	20.77	28.74	15.79	16.26
स्थिर मूल्यों पर रा.प्रा. (₹ करोड़ में)	23,143	22,984	26,944	34,707	39,479	-
स्थिर मूल्यों पर रा.प्रा. की वृद्धि दर (प्रतिशत)	3.23	(-)0.69	17.23	28.81	13.75	12.47
वर्तमान मूल्यों पर रा.प्रा./स.रा.घ.उ. (प्रतिशत)	14.17	13.86	14.44	17.57	18.56	15.72
स.रा.घ.उ. के सापेक्ष राजस्व व्यय						
वर्तमान मूल्यों पर रा.व्य. (₹ करोड़ में)	23,400	23,472	31,795	36,553	45,089	-
वर्तमान मूल्यों पर रा.व्य. की वृद्धि दर (प्रतिशत)	11.47	0.31	35.46	14.96	23.35	17.11
स्थिर मूल्यों पर रा.प्रा. (₹ करोड़ में)	21,863	20,640	27,140	31,218	37,830	-
स्थिर मूल्यों पर रा.व्य. की वृद्धि दर (प्रतिशत)	4.15	(-)5.60	31.49	15.02	21.18	13.25
वर्तमान मूल्यों पर रा.व्य./स.रा.घ.उ. (प्रतिशत में)	13.39	12.45	14.55	15.80	17.78	14.80
स.रा.घ.उ. के सापेक्ष पूँजीगत व्यय						
वर्तमान मूल्यों पर पूँव्य. (₹ करोड़ में)	4,218	4,722	5,543	8,159	10,861	-
वर्तमान मूल्यों पर पूँव्य. की वृद्धि दर (प्रतिशत)	33.52	11.95	17.39	47.19	33.12	28.63
स्थिर मूल्यों पर पूँव्य. (₹ करोड़ में)	3,941	4,152	4,732	6,968	9,113	-
स्थिर मूल्यों पर पूँव्य. की वृद्धि दर (प्रतिशत)	24.75	5.36	13.95	47.27	30.77	24.42
वर्तमान मूल्यों पर पूँव्य./स.रा.घ.उ. (प्रतिशत में)	2.41	2.50	2.54	3.53	4.28	3.05

जैसा कि उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है, मुद्रास्फीति को लेखांकित करने के पश्चात भी 2012-13 से 2016-17 तक राजस्व प्राप्तियाँ, राजस्व व्यय तथा पूँजीगत व्यय में स.रा.घ.उ. की प्रतिशतता के संदर्भ में वृद्धि हुई है।

1.1.2 राजकोषीय स्थिति की समीक्षा

चौदहवें वित्त आयोग (चौ.वि.आ.) की अनुशंसाओं और राजकोषीय दायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम के अधीन विधानसभा में प्रस्तुत मध्यावधि राजकोषीय नीति (म.रा.नी.) विवरणी के आधार पर बजट में उपबंधित लक्षित मुख्य अवयवों के अंतर्गत 2016-17 के दौरान राज्य का प्रदर्शन तालिका 1.4 में दिया गया है।

उज्ज्वल डिस्कॉम अश्योरेंस योजना (उदय) के लागू किये जाने पर 2015-16 के दौरान उर्जा वितरण कम्पनियों (डिस्कॉम) के ऋण के अधिग्रहण के कारण सरकार पर हुए अतिरिक्त भार की चर्चा कण्डिका 1.4.2.1 में की गयी है। झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (झा.बि.वि.नि.लि.) से संबद्ध कुल ₹6,136 करोड़ के बकाया दायित्व में से झारखण्ड सरकार ने 2015-16 में उदय बॉण्ड पर ₹5,553 करोड़ बाजार से उधार लिया तथा शेष ₹583 करोड़ संचित निधि से प्रदान किया। परिणामस्वरूप 2016-17 के दौरान राज्य के राजकोषीय घाटे पर उदय का कोई प्रभाव नहीं पड़ा।

तालिका 1.4: मुख्य राजकोषीय अवयव

(प्रतिशत में)

राजकोषीय अवयव	2016-17			वास्तविक
	राज्य के लिए 14 ^{वें} वि. आ. का लक्ष्य	म.रा.नी. विवरणी में निर्धारित लक्ष्य	बजट के अनुसार लक्ष्य	
स.रा.घ.उ. के संदर्भ में राजस्व घाटा(-)/राजस्व अधिशेष (+)	शून्य	(+)5.18	(+)2.64	(+)0.8
स.रा.घ.उ. के संदर्भ में राजकोषीय घाटा	3.50	2.16	2.22	4.02
स.रा.घ.उ. से सरकार के कुल बकाया ऋण का अनुपात	25.16	25.16	24.13	26.4

राज्य ने 2006-07 में राजस्व घाटे को समाप्त कर और घाटे को ₹946 करोड़ के राजस्व आधिक्य में बदलकर एफ.आर.बी.एम. अधिनियम में नियत लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया जो अंतर्वर्षीय उतार चढ़ाव के पश्चात 2015-16 में ₹4,085 करोड़ हो गया। तथापि, 2016-17 में राज्य का राजस्व आधिक्य घट कर ₹1,965 करोड़ रह गया।

2016-17 के दौरान, राजकोषीय घाटा (₹10,192 करोड़) स.रा.घ.उ. का 4.02 प्रतिशत था जो 14^{वें} वि.आ. द्वारा 3.50 प्रतिशत के अनुशंसित सीमा से बहुत अधिक था। राज्य अपने राजस्व संग्रह के स्वअनुमानित लक्ष्य को प्राप्त करने में विफल रहा जबकि राज्य का व्यय बजट के समतुल्य था। अग्रतर, राजकोषीय घाटा-स.रा.घ.उ. का अनुपात म.रा.नी. के अंतर्गत अपने लक्ष्य तथा वर्ष के लिए इसके बजट अनुमान का लगभग दोगुना था।

2016-17 के दौरान राज्य का ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात 26.4 प्रतिशत था जो म.रा.नी. अनुमान तथा 14^{वें} वि.आ. के 25.16 प्रतिशत के अनुमान से परे था।

1.1.2.1 राजकोषीय घाटा एवं इसके वित्तपोषण स्वरूप का संयोजन

राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण के स्वरूप को तालिका 1.5 में दर्शाया गया है:

तालिका 1.5: राजकोषीय घाटे के अवयव एवं वित्तपोषण का स्वरूप

(₹ करोड़ में)

क्र.सं	विवरण	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17		
वित्तीय घाटे का संयोजन		3,406	2,256	6,564	11,523	10,192		
1	राजस्व घाटा(-)/आधिक्य(+)	1,370	2,665	(-)230	4,085	1,965		
2	निवल पूँजीगत व्यय	4,218	4,722	5,543	8,159	10,861		
3	निवल ऋण एवं अग्रिम	558	199	791	7,449	1,296		
राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण का स्वरूप*						प्राप्तियाँ	संवितरण	निवल
1	बाजार से लिये गये उधार	3,145	2,535	4,488	4,755	5,154	429	4,725
2	भारत सरकार से ऋण	100	(-)33	(-)5	(-)2	234	157	77
3	एन.एस.एस.एफ. को निर्गत विशेष प्रतिभूति	(-)200	129	335	573	-	733	(-)733
4	वित्तीय संस्थानों से ऋण	(-)30	455	(-)8	5,673	1,693	759	934
5	अल्प बचतें, भविष्य निधि इत्यादि	22	9	(-)202	-159	873	994	(-)121
6	आरक्षित निधि	(-)123	271	275	10	453	70	383
7	जमा एवं अग्रिम	1,290	(-)254	1,093	2,111	11,145	6,114	5,031
8	उचंत एवं विविध	31	(-)1	(-)13	17	301	331	(-)30
9	प्रेषण	(-)141	157	(-)238	1	9,281	9,311	(-)30
10	अन्तर्राज्यीय समायोजन	(-)100	(-)50	-	-	-	-	-
11	रोकड़ शेष वृद्धि(+)/घाटा(-)	588	580	841	(-)1,461	1,905	1,948	(-)43

* ये सभी आंकड़े वर्ष के दौरान, 2016-17 को छोड़कर, निवल संवितरण/बहिर्गमन हैं।

स्रोत: संबंधित वर्षों के झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे

वर्ष 2016-17 के दौरान, ₹10,192 करोड़ के राजकोषीय घाटे की प्रतिपूर्ति मुख्यतः बाजार उधार (₹4,725 करोड़) और जमा एवं अग्रिम (₹5,031 करोड़) से किया गया।

1.1.2.2 घाटा/आधिक्य की गुणवत्ता

आदर्श रूप में, राज्य का राजस्व व्यय (ब्याज भुगतान सहित) राजस्व प्राप्तियों से पूरा किया जाना चाहिए। जहाँ राजस्व घाटे की प्रतिपूर्ति भारतीय रिजर्व बैंक में जमा से उधार लेकर तथा निकासी से किया जाता है, वहीं राजस्व आधिक्य को पूँजीगत व्यय हेतु उपयोग में लाया जा सकता है ताकि रिजर्व बैंक जमा (रि.बैं.ज.) से उधार लेने व निकासी की आवश्यकता कम हो। अग्रतर, यदि गैर-ऋण प्राप्तियों से प्राथमिक व्यय² पूरा हो सके तो उधार लेकर वित्तपोषित करने हेतु कोई भी प्राथमिक घाटा नहीं होगा। अतः, राज्य के वित्त की स्थिरता के लिए एक आवश्यक शर्त यह है कि वृद्धिशील प्राथमिक व्यय और वृद्धिशील ब्याज भुगतान को पूरा करने के लिए गैर-ऋण प्राप्तियाँ पर्याप्त होनी चाहिए।

² ब्याज भुगतानों को छोड़कर राजस्व, पूँजीगत तथा ऋण एवं अग्रिम पर व्यय।

तालिका 1.6: राज्य में प्राथमिक घाटा/आधिक्य के अवयव

(₹ करोड़ में)

वर्ष	गैर-ऋण प्राप्तियाँ	प्राथमिक राजस्व व्यय	पूँजीगत व्यय	ऋण एवं अग्रिम	प्राथमिक व्यय	प्राथमिक राजस्व घाटा(-)/ आधिक्य(+)	प्राथमिक घाटा (-)/ आधिक्य(+)
1	2	3	4	5	6 (3+4+5)	7 (2-3)	8 (2-6)
2012-13	24,813	21,009	4,218	601	25,828	(+)3,804	(-)1,015
2013-14	26,160	20,858	4,722	222	25,802	(+)5,302	(+)358
2014-15	31,598	28,866	5,543	824	35,233	(+)2,732	(-) 3,635
2015-16	40,669	33,233	8,159	7,480	48,872	(+)7,436	(-)8,203
2016-17	47,093	40,917	10,861	1,335	53,113	(+)6,176	(-)6,020


स्रोत: झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे

तालिका 1.6 में प्राथमिक घाटों का अवयव घाटे के उस परिमाण को इंगित करता है जो पूँजीगत व्यय में वृद्धि के कारण है जो कि राज्य के अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता के उन्नयन हेतु वांछनीय हो सकता है।

1.1.3 बजट अनुमान एवं वास्तविक

राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट दस्तावेज किसी विशेष राजकोषीय वर्ष हेतु राजस्व एवं व्यय के अनुमानों या आकलनों की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। राजस्व एवं व्यय के आकलन में शुद्धता के महत्व को समग्र आर्थिक प्रबंधन हेतु राजकोषीय नीतियों के प्रभावकारी कार्यान्वयन के संदर्भ में व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है। बजट अनुमानों से विचलन, सरकार के नियंत्रणाधीन व नियंत्रण से बाहर दोनों, विभिन्न कारणों से अपेक्षित राजकोषीय लक्ष्य की अप्राप्ति और गैर अनुकूलन के सूचक हैं।

चार्ट 1.1 2016-17 के लिए कुछ महत्वपूर्ण राजकोषीय मापदंड हेतु बजट अनुमान तथा वास्तविक आंकड़ों का एक तुलनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करता है।



स्रोत: वार्षिक वित्तीय विवरणी और वित्त लेखे 2016-17

उपरोक्त चार्ट दर्शाता है कि वास्तविक राजस्व प्राप्तियाँ और राजस्व व्यय दोनों, वर्ष 2016-17 हेतु राज्य सरकार द्वारा तैयार किये गये बजट अनुमानों से काफी कम था। राजस्व प्राप्तियाँ वर्ष के दौरान बजट अनुमानों से ₹8,692 करोड़ कम जो मुख्यतः स्व-कर संग्रह में ₹3,751 करोड़ और बजट अनुमान के विरुद्ध भारत सरकार से सहायता अनुदान ₹2,541 करोड़ कम संग्रहण के कारण था।

केन्द्रीय कर राजस्व वर्ष के दौरान बजट अनुमान से ₹662 करोड़ अधिक था।


2016-17 के दौरान राजस्व व्यय (₹3,673 करोड़ से) में कमी मुख्यतः सामान्य सेवाओं (₹1,389 करोड़ से) तथा सामाजिक सेवाओं (₹2,684 करोड़) पर व्यय में कमी के कारण था। सामान्य सेवाओं में ब्याज भुगतान (₹208 करोड़), प्रशासनिक सेवाओं (₹366 करोड़) तथा पेंशन एवं विविध (₹655 करोड़) के अंतर्गत कम व्यय किया गया। सामाजिक सेवाओं में शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति (₹1,513 करोड़) तथा समाज कल्याण एवं पोषण (₹924 करोड़) के अंतर्गत कम व्यय किया गया।




राज्य का पूँजीगत व्यय लगभग बजट अनुमानों के लगभग समतुल्य था।

1.2 राज्य के संसाधन

उपर पृष्ठ 2 में तालिका 1.2 और चार्ट 1.2 से चार्ट 1.5 राज्य के आर्थिक संसाधनों के विभिन्न स्वरूप प्रस्तुत करते हैं जैसा कि वित्तीय लेखाओं में दर्शाया गया है।

चार्ट 1.2 : संसाधनों के घटक तथा उप-घटक






कुल प्राप्तियों में राजस्व प्राप्तियों का भाग (रा.प्रा./कु.प्रा.), मुख्यतः संधीय कर भाग में वृद्धि तथा लोक ऋण प्राप्तियों में कमी के कारण, 2015-16 में 73 प्रतिशत से बढ़कर 2016-17 में 79 प्रतिशत हो गया। कुल प्राप्तियों में पूँजीगत प्राप्तियों का भाग मुख्यतः पिछले वर्ष के विरुद्ध लोक ऋण प्राप्तियों में ₹6,164 करोड़ की उल्लेखनीय कमी के कारण घटकर 2016-17 में 12 प्रतिशत हो गया।

1.3 राजस्व प्राप्तियाँ

वर्ष 2012-17 की अवधि में राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ और अवयव परिशिष्ट 1.3 में दर्शाए गए हैं एवं चार्ट 1.6 में प्रस्तुत किए गए हैं।



बजट अनुमान की तुलना में, 2016-17 के दौरान राजस्व प्राप्तियाँ मुख्य रूप से स्वयं के कर राजस्व में (₹3,751 करोड़ से) तथा भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान (₹2,541 करोड़ से) की कम प्राप्ति के कारण ₹8,692 करोड़ कम थीं।

स.रा.घ.उ. के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति तालिका 1.7 में प्रस्तुत की गयी है।

तालिका 1.7 : स.रा.घ.उ. के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
राजस्व प्राप्तियाँ (रा.प्रा.) (₹ करोड़ में)	24,770	26,137	31,565	40,638	47,054
रा.प्रा. के वृद्धि की दर (प्रतिशत)	10.48	5.52	20.77	28.74	15.79
रा.प्रा./स.रा.घ.उ. वर्तमान मूल्य पर (प्रतिशत)	14.18	13.86	14.44	17.57	18.56
रा.प्रा./स.रा.घ.उ. स्थिर मूल्य पर (प्रतिशत)	15.17	15.76	16.92	20.57	22.12
राज्य का स्वयं का कर/वर्तमान मूल्य पर स.रा.घ.उ.	4.71	4.97	4.74	4.96	5.25
राज्य का स्वयं का कर/स्थिर मूल्य पर स.रा.घ.उ.	5.04	5.66	5.55	5.81	6.25
वर्तमान मूल्य पर स.रा.घ.उ. की वृद्धि दर	15.77	7.92	15.89	5.84	9.62
स्थिर मूल्य पर स.रा.घ.उ. की वृद्धि दर	8.17	1.57	12.49	5.90	7.69
उत्प्लावकता अनुपात³					
वर्तमान मूल्य पर स.रा.घ.उ. के संदर्भ में राजस्व उत्प्लावकता	0.66	0.70	1.31	4.92	1.65
स्थिर मूल्य पर स.रा.घ.उ. के संदर्भ में राजस्व उत्प्लावकता	1.28	3.52	1.66	4.87	2.05
वर्तमान मूल्य पर स.रा.घ.उ. के संदर्भ में राज्य के स्वयं के कर राजस्व की उत्प्लावकता	1.16	1.78	0.65	1.88	1.66
स्थिर मूल्य पर स.रा.घ.उ. के संदर्भ में राज्य के स्वयं के कर राजस्व की उत्प्लावकता	2.24	8.98	0.82	1.85	2.07
राज्य के स्वयं के करों के संदर्भ में राजस्व उत्प्लावकता	0.57	0.39	2.02	2.63	0.99

³ उत्प्लावकता अनुपात आधार चल में दिये बदलाव के संदर्भ में राजकोषीय चल की प्रतिक्रिया की सीमा या लचीलापन को इंगित करता है। उदाहरणार्थ, राजस्व उत्प्लावकता 0.6 का अर्थ है कि राजस्व प्राप्तियाँ 0.6 प्रतिशत अंक तक चला जाता है यदि स.रा.घ.उ. एक प्रतिशत बढ़ता है।

1.3.1 राज्य के स्वयं के संसाधन

14^{वें} वित्त आयोग के आकलन एवं बजट अनुमान की तुलना में 2016-17 हेतु राज्य के वास्तविक स्वयं का कर और कर-भिन्न राजस्व तालिका 1.8 में दिया गया है।

तालिका 1.8: कर तथा कर-भिन्न प्राप्तियाँ

(₹ करोड़ में)

	14 ^{वें} वि.आ. के अनुमान	बजट अनुमान	वास्तविक
स्वयं का कर राजस्व	16,044	17,050	13,299
कर-भिन्न राजस्व	5,039	8,426	5,351

स्रोत: 14^{वें} वि.आ. प्रतिवेदन, बजट दस्तावेज तथा राज्य के वित्त लेखे 2016-17

आकलन एवं अनुमान के विरुद्ध स्वयं के कर राजस्व की कम प्राप्ति मुख्यतः बिक्री कर (₹2,154 करोड़ से), राज्य उत्पाद (₹538 करोड़ से) एवं वाहनों पर कर (₹418 करोड़ से) के अनुमानित से कमतर संग्रहण के कारण हुआ।

1.3.1.1 कर राजस्व

प्रमुख करों तथा शुल्कों के सकल संग्रहण तालिका 1.9 में दर्शाये गये हैं।

तालिका 1.9: कर राजस्व के घटक

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	सी.ए.जी.आर.	संग्रहण पर व्यय (2016-17) प्रतिशत	संग्रहण पर व्यय (2015-16) प्रतिशत	संग्रहण पर व्यय का अखिल भारतीय औसत
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	6,422	7,305	8,070	8,999	10,549	13.21	0.47	0.53	0.66
राज्य उत्पाद	578	628	740	912	962	13.58	1.74	2.08	3.21
वाहनों पर कर	465	495	660	633	682	10.05	0.91	0.97	4.99
मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क	492	502	531	532	607	5.39	2.85	2.43	2.87
भू राजस्व	96	230	84	164	240	25.74	-	-	-
यात्रियों तथा सामग्रियों पर कर	1	1	1	0	0	-	-	-	-
अन्य कर	170	219	264	239	259	(-)2.76	0.82	-	-
कुल कर राजस्व	8,224	9,380	10,350	11,479	13,299	-	-	-	-

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

स्वयं के कर संग्रहण पर व्यय

जैसा कि तालिका 1.9 में दर्शाया गया है, राज्य में सभी करों यथा वैट, राज्य उत्पाद, वाहनों पर कर तथा मुद्रांक निबंधन के संबंध में कर के संग्रहण पर व्यय अखिल भारतीय औसत से उल्लेखनीय रूप से कमतर था।

मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क के अतिरिक्त सभी करों के संबंध में संग्रहण के व्यय में कमी आयी।

1.3.1.2 कर-भिन्न राजस्व

2016-17 के दौरान संग्रहित कर-भिन्न राजस्व (क.भि.रा.) 14^{वें} वि.आ. के उस वर्ष हेतु ₹5,039 करोड़ के मानक अनुमान के विरुद्ध ₹5,351 करोड़ था।

2012-17 के दौरान संग्रहित कर-भिन्न राजस्व की घटक-वार स्थिति तालिका 1.10 में है।

तालिका 1.10: कर-भिन्न राजस्व की घटक-वार स्थिति

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
ब्याज प्राप्तियाँ	72.23	69.48	143.04	122.44	121.34
लाभांश एवं लाभ	15.00	18.00	0.00	0.47	0.00
अन्य कर-भिन्न प्राप्तियाँ	3,448.40	3,665.23	4,192.02	5,730.11	5,230.07
कुल	3,535.63	3,752.71	4,335.06	5,853.02	5,351.41

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

राजस्व प्राप्तियों में कर-भिन्न राजस्व का हिस्सा वर्ष 2015-16 में 14.40 प्रतिशत से घटकर 2016-17 में 11.30 प्रतिशत हो गया। वर्ष 2015-16 के दौरान 35 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में, पिछले वर्षों के सापेक्ष 2016-17 में कर-भिन्न राजस्व मुख्यतः खनिज एवं धातुकर्म उद्योगों (₹290 करोड़), अन्य प्रशासनिक सेवाओं (₹213 करोड़) में कम प्राप्तियों के कारण नौ प्रतिशत तक घटा। अग्रतर, बजट दस्तावेज में खनन एवं धातुकर्म उद्योग (₹2,956 करोड़ से), वृहत सिंचाई (₹229 करोड़ से) और ब्याज प्राप्तियाँ (₹204 करोड़ से) में अपना निर्धारित राजस्व लक्ष्य प्राप्त करने में राज्य विफल रहा।

अनुशंसा:

इच्छित परिणाम पाने हेतु सरकार को बजट दस्तावेज में दिये गये प्राप्ति के स्वयं के लक्ष्य के साथ-साथ 14^{वें} वित्त आयोग द्वारा किये गये अनुमान को प्राप्त करने के प्रयास करने चाहिए।

1.3.2 भारत सरकार से सहायता-अनुदान

गैर-योजना, राज्य योजना, केन्द्र प्रायोजित तथा केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएँ और केंद्रीय योजना स्कीमों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा सहायता-अनुदानों के विमुक्ति की प्रवृत्ति तालिका 1.11 में दर्शायी गयी है:

तालिका 1.11: भारत सरकार द्वारा विमुक्त घटक-वार अनुदान

(₹ करोड़ में)

विवरण	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
गैर-योजना अनुदान	1,483.41	1,319.91	1,780.26	1,685.82	1,875.29
राज्य योजना स्कीमों के लिए अनुदान	2,393.94	1,565.83	4,914.69	4,950.18	6,792.89
केंद्रीय योजना स्कीम के लिए अनुदान	30.81	28.28	83.56	50.90	78.01
केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों के लिए अनुदान	914.05	1,150.96	614.17	650.74	515.16
कुल	4,822.21	4,064.98	7,392.68	7,337.64	9,261.35
पिछले वर्ष के सापेक्ष वृद्धि की प्रतिशतता	(-)8.00	(-)16.00	82.00	(-)0.74	26.21
राजस्व प्राप्तियों के सापेक्ष कुल अनुदान की प्रतिशतता	19.47	15.55	23.42	18.06	19.68

स्रोत: झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे

भारत सरकार से गैर-योजना अनुदान मुख्यतः स्थानीय निकायों (शहरी एवं ग्रामीण) के आधारभूत अनुदानों हेतु अनुदानों में वृद्धि के कारण 2015-16 के ₹1,685.82 करोड़ से बढ़कर, 2016-17 में ₹1,875.29 करोड़ हो गया जबकि, राज्य योजना अनुदान मुख्यतः प्रधानमंत्री आवास योजना, समेकित बाल विकास सेवाएँ, अंब्रेला आई.सी.डी.एस. तथा स्वच्छ भारत अभियान आदि हेतु अनुदान प्रदान किये जाने के कारण, ₹4,950.18 करोड़ से बढ़कर ₹6,792.89 करोड़ हो गया।

1.3.3 केन्द्रीय कर हस्तांतरण

विगत पाँच वर्षों के केन्द्रीय कर हस्तांतरण (कें.क.ह.) की प्रवृत्तियाँ तालिका 1.12 में दर्शायी गयी हैं।

तालिका 1.12 : केन्द्रीय कर हस्तांतरण

(₹ करोड़ में)

	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	सी.ए.जी.आर.
केन्द्रीय कर हस्तांतरण (कें.क.ह.)	8,188	8,939	9,487	15,969	19,142	23.83
रा.प्रा. में कें.क.ह. का अंश	30.06	34.20	30.06	39.30	40.68	

पिछले वर्ष के सापेक्ष 2016-17 में कें.क.ह. में वृद्धि मुख्यतः निगम कर (₹1,104 करोड़ से), निगम कर से भिन्न आय पर कर (₹761 करोड़ से), संघीय कर तथा शुल्क (₹896 करोड़ से) तथा सेवा कर (₹322 करोड़ से) के अंतर्गत था। 2016-17 के दौरान कें.क.ह. राज्य की राजस्व प्राप्तियों का 40.68 प्रतिशत था।

1.3.4 त्यक्त राजस्व

1.3.4.1 करों का कम निर्धारण, आरोपण न किया जाना, अल्प आरोपण

2016-17 के दौरान, व्यापार इत्यादि पर कर, राज्य उत्पाद, वाहनों पर कर, भू-राजस्व, मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क, विद्युत पर कर व शुल्क और खनन प्राप्तियों से संबंधित 132 इकाइयों के अभिलेखों के नमूना जाँच ने 29,656 मामलों में संयुक्त रूप से ₹2,589.37 करोड़ राजस्व के कम निर्धारण/अल्प आरोपण/हानि उद्घाटित हुआ। 2016-17 के दौरान, संबंधित विभागों ने

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित 26,645 मामलों में ₹1,934.20 करोड़ के कम निर्धारण तथा अन्य कमियों को स्वीकार किया लेकिन 394 मामलों में केवल ₹5.63 करोड़ वसूल किया।

1.3.4.2 बकाया राजस्व

31 मार्च 2017 तक, तीन विभागों (वाणिज्य कर, परिवहन तथा राज्य उत्पाद) में राजस्व बकाये की राशि ₹4,455.53 करोड़ थी जिसमें से ₹2,200.92 करोड़ पाँच वर्षों से अधिक अवधि से बकाया थी। ये राजस्व बकाये वाणिज्य कर विभाग (₹4,154.70 करोड़), परिवहन विभाग (₹270.27 करोड़) तथा राज्य उत्पाद (₹30.56 करोड़) से संबंधित थे। अन्य विभागों के राजस्व बकाये से संबंधित सूचना प्रस्तुत नहीं की गई (अगस्त 2017)। 31 मार्च 2017 तक कुल राजस्व बकाया राज्य के अपने संसाधनों का 2015-16 के दौरान 19 प्रतिशत के विरुद्ध 23 प्रतिशत था।

1.3.5 श्रम सेस

संविदा श्रमिक (विनियमन एवं उन्मूलन) नियम 1971 के प्रावधानों के अनुसार श्रम सेस के रूप में संवेदकों से संग्रहित राशि श्रमिक कल्याण योजनाओं हेतु श्रमिक कल्याण बोर्ड को अंतरित किया जाना अपेक्षित था।

वित्त लेखे के अनुसार 2008-09 से 2016-17 के बीच सरकारी परियोजनाएँ कार्यान्वित करने वाले संवेदकों से श्रम सेस के रूप में ₹312.90 करोड़ संग्रहित किया गया था। संग्रहित सेस को श्रमिक कल्याण बोर्ड को अंतरित नहीं किया गया (फरवरी 2018) जिससे संबद्ध वर्षों के दौरान राजस्व अधिशेष में वृद्धि और राजकोषीय घाटे में कमी दर्ज हुई।

श्रमिक कल्याण बोर्ड को श्रम सेस का अंतरण नहीं किये जाने से न केवल सेस संग्रहण का उद्देश्य विफल रहा बल्कि उस सीमा तक यह सरकारी दायित्व भी बना।

अनुशंसा:

वित्त विभाग को श्रम सेस का श्रमिक कल्याण बोर्ड को यथाशीघ्र हस्तांतरण सुनिश्चित करना चाहिए।

1.4 पूँजीगत प्राप्तियाँ

राजस्व प्राप्तियों के अलावा, राज्य ने पूँजीगत प्राप्तियाँ भी प्राप्त किया, जिसमें विनिवेश से प्राप्तियाँ, सरकार द्वारा दिये गये ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली, वित्तीय संस्थानों से सरकार के आंतरिक उधार तथा भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम शामिल हैं। 2012-17 के दौरान पूँजीगत प्राप्तियों के विवरण तालिका 1.13 में दिये गये हैं।

तालिका 1.13: प्राप्तियों की संरचना व वृद्धि की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

राज्य की प्राप्तियों के स्रोत	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
पूँजीगत प्राप्तियाँ (पूँ.प्रा.)	5,242	4,726	6,723	13,276	7,120
विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	0	0	0	0	0
ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली	43	23	33	31	38
लोक ऋण प्राप्तियाँ	5,199	4,703	6,690	13,245	7,081
ऋण पूँजीगत प्राप्तियों के वृद्धि की दर (प्रतिशत)	94.6	(-)9.5	42.3	98.0	(-)47
गैर-ऋण पूँजीगत प्राप्तियों के वृद्धि की दर (प्रतिशत)	79.2	(-)46.51	43.48	(-)6.06	26
वर्तमान मूल्य पर स.रा.घ.उ. के वृद्धि की दर	15.8	7.9	15.9	5.8	9.6
पूँ.प्रा. के वृद्धि की दर (प्रतिशत)	94.5	(-)9.8	42.3	97.5	(-)46

स्रोत: संबंधित वर्षों के झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे

पूँजीगत प्राप्तियाँ 2015-16 में ₹5,553.37 करोड़ के उज्जवल डिस्कॉम अश्योरेंस योजना (उदय) बॉण्ड के अंतर्गत एकमुश्त प्राप्ति के कारण बढ़ गयीं। 2016-17 के दौरान कोई विनिवेश नहीं हुआ।

1.4.1 ऋणों एवं अग्रिमों से वसूलियाँ

विगत पाँच वर्षों के दौरान दिए गए ऋणों एवं की गयी वसूली के विवरण नीचे दिये गये हैं:

तालिका 1.14: ऋण एवं अग्रिम

(₹ करोड़ में)

विवरण	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
ऋणों का आरंभिक शेष	7,190	7,748	7,947	8,738	16,187
दिये गये ऋण	601	222	824	7,480	1,335
की गई वसूली	43	23	33	31	39
ऋणों का अंतिम शेष	7,748	7,947	8,738	16,187	17,483

स्रोत: संबंधित वर्षों के झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे

झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड (झा.रा.वि.बो.) जिसे 2014 के दौरान चार भागों में बाँटा गया, प्रत्येक वर्ष दिये गए ऋणों व अग्रिमों का मुख्य प्राप्तकर्ता था परन्तु इनके विरुद्ध कोई पुनर्भुगतान नहीं किया गया परिणामस्वरूप 31 मार्च 2017 के अंत में ऊर्जा प्रक्षेत्र के ऋणों के रूप में ₹16,684 करोड़ का बकाया हो गया। 2016-17 के दौरान, झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (झा.बि.वि.नि.लि.) के अधीन विद्युत परियोजनाओं हेतु ₹1,229 करोड़ का ऋण दिया गया। प्राप्त पुनर्भुगतान मुख्यतः सरकारी सेवकों को दिये गये ऋण व अग्रिमों के विरुद्ध थे।

1.4.2 आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियाँ

2012-17 की अवधि में राज्य सरकार का आंतरिक ऋण ₹4,597 करोड़ से ₹13,080 करोड़ के बीच था।

तालिका 1.15: आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
सरकार का आंतरिक ऋण	4,960	4,597	6,537	13,080	6,847
कुल लोक ऋण एवं अन्य दायित्व	14,718	12,841	19,809	33,843	19,193
कुल लोक ऋण तथा अन्य दायित्व के प्रतिशत के रूप में	33.70	35.80	33.00	38.65	35.67

स्रोत: संबंधित वर्षों के झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे

राज्य द्वारा निवेशों की तुलना में उच्चतर ब्याज दर पर लिये गये उधारों के प्रभाव की चर्चा कंडिका 1.8.3 में की गयी है।

1.4.2.1 डिस्कॉम्स हेतु उदय बाँड पर उधार

राज्य डिस्कॉम्स के संचालन तथा वित्तीय क्षमता सुधार हेतु, 2015 में ऊर्जा वितरण कंपनियों के वित्तीय पुनरोद्धार की एक योजना प्रारंभ की गई। योजना के प्रावधानों के अनुसार, झारखण्ड राज्य ने झा.बि.वि.नि.लि के केन्द्रीय लोक क्षेत्र उपक्रम पर बकाये का शत-प्रतिशत तथा 30.09.2015 तक झा.बि.वि.नि.लि के बकाये ऋण का 75 प्रतिशत भाग अधिगृहीत कर लिया। राज्य ने झा.बि.वि.नि.लि को ₹6,136 करोड़ का ऋण जारी किया, जिसमें से ₹5,553 करोड़ उदय बाँड पर लिये गये उधार से तथा ₹583 करोड़ राज्य सरकार की संचित निधि से दिया गया। उदय बाँड पर लिया गया उधार 8 से 8.99 प्रतिशत प्रतिवर्ष के ब्याज दर पर लिया गया है जिसका पुनर्भुगतान 2021-22 से 2030-31 के बीच किया जाना था, जबकि झा.बि.वि.नि.लि. को दिया गया ऋण 13 प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज की दर से दिया गया।

अग्रतर, अनुबंध के अनुसार उदय बाँड पर लिये गये उधार की गणना वित्तीय वर्ष 2015-16 तथा 2016-17 में राज्य के राजकोषीय घाटे की सीमा के विरुद्ध नहीं की जायेगी। 2016-17 के दौरान राज्य द्वारा उदय बाँड पर कोई उधार नहीं लिया गया।

1.4.3 भारत सरकार से ऋण व अग्रिम

2012-17 के दौरान राज्य योजना स्कीम हेतु भारत सरकार से ऋण व अग्रिम प्राप्त किया गया जो ₹106 करोड़ से ₹239 करोड़ के बीच रहा।

1.5 लोक लेखा प्राप्तियाँ

लोक लेखाओं के लेन-देन राज्य विधानसभा के वोट का विषय नहीं होते हैं। संबंधित वित्तीय वर्ष के अंत तक राज्य के लोक लेखाओं का शेष तालिका 1.16 में दिया गया है।

तालिका 1.16: लोक लेखा शेष

(₹ करोड़ में)

विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत संसाधन	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
लोक लेखा प्राप्तियाँ	14,495	14,275	20,189	29,037	22,052
लघु बचत, भविष्य निधि आदि	668	760	843	830	873
आरक्षित निधि	280	293	308	522	453
जमा व अग्रिम	8,706	7,204	12,182	19,499	11,145
उचंत तथा विविध	199	(-59)	18	161	300
प्रेषण	4,642	6,077	6,838	8,025	9,281


स्रोत: झारखण्ड सरकार के संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

2016-17 के दौरान जमा एवं अग्रिम पिछले वर्ष की तुलना में मुख्यतः 'राज्य विद्युत बोर्ड कार्यकारी निधि' के पी.एल. खाता में ₹6,534 करोड़ कम क्रेडिट होने के कारण घटा।

1.6 संसाधनों के अनुप्रयोग

व्यय के संयोजन एवं वृद्धि

चार्ट 1.7 विगत पाँच वर्षों (2012-17) में कुल व्यय की प्रवृत्तियों तथा इसके संयोजन को दर्शाता है।



1.6.1 पूँजीगत व्यय (पूँ.व्य.)

2016-17 के दौरान, पूँजीगत व्यय (पूँ.व्य.) वर्ष 2015-16 के ₹8,159 करोड़ के विरुद्ध ₹10,861 करोड़ बढ़ा। स.रा.घ.उ. से पूँ.व्य. की प्रतिशतता 2016-17 के दौरान 4.3 प्रतिशत था।

राज्य सरकार ने गलती से वेतन, रखरखाव, कार्यालय व्यय, यात्रा भत्ता आदि पर ₹583.79 करोड़ का पूँजीगत व्यय किया तथा पूँजीगत शीर्षों से ₹105.00 करोड़

सहायता अनुदान के रूप में दिया जो राजस्व प्रकृति के थे परिणामस्वरूप उस सीमा तक राज्य के राजस्व आधिक्य की अत्योक्ति हुई।

1.6.2 राजस्व व्यय (रा.व्य.)

2016-17 के दौरान राजस्व व्यय (रा.व्य.) 2015-16 के 91 प्रतिशत के विरुद्ध कुल व्यय (₹57,285 करोड़) का 79 प्रतिशत था, जो सकारात्मक रुझान था। राजस्व व्यय 2016-17 के दौरान स.रा.घ.उ. का 17.8 प्रतिशत था।

1.6.2.1 योजना राजस्व व्यय (यो.रा.व्य.)

योजना राजस्व व्यय (यो.रा.व्य.) वर्ष 2015-16 के ₹15,793 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2016-17 में ₹22,194 करोड़ हो गया। मुख्य रूप से शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति के अंतर्गत ₹744 करोड़, समाज कल्याण एवं पोषण के अंतर्गत ₹728 करोड़ तथा कृषि एवं संबद्ध क्रियाकलाप के अंतर्गत ₹350 करोड़ कम व्यय के कारण यो.रा.व्य. वर्ष के दौरान अपने बजट अनुमान से ₹2,332 करोड़ कम था। कुल राजस्व व्यय में यो.रा.व्य. का हिस्सा 2015-16 में 43 प्रतिशत से बढ़कर 2016-17 में 49 प्रतिशत हो गया। यो.रा.व्य. सामाजिक सेवाओं (₹3,146 करोड़ से) एवं आर्थिक सेवाओं (₹3,510 करोड़ से) के व्यय में वृद्धि के कारण बढ़ा।

1.6.2.2 गैर-योजना राजस्व व्यय (गै.यो.रा.व्य.)

वर्ष 2016-17 के दौरान, गै.यो.रा.व्य. ₹24,236 करोड़ के बजट अनुमान के विरुद्ध ₹22,895 करोड़ था। गै.यो.रा.व्य. का वृद्धि दर मुख्य रूप से पिछले वर्ष की तुलना में सामान्य सेवाओं (11 प्रतिशत से) में व्यय में बढ़ोत्तरी के कारण, वर्ष 2015-16 में सात प्रतिशत से बढ़कर 2016-17 में 10 प्रतिशत हो गया। 2016-17 के दौरान, सामाजिक सेवाओं के अंतर्गत गै.यो.रा.व्य. मुख्यतः शिक्षा (₹3,942 करोड़) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (₹898 करोड़), और समाज कल्याण एवं पोषण (₹483 करोड़) पर वहन किया गया। आर्थिक सेवाओं के अंतर्गत गै.यो.रा.व्य. मुख्यतः ग्रामीण विकास (₹1,701 करोड़), ऊर्जा (₹1,200 करोड़) कृषि एवं संबद्ध क्रियाकलाप (₹489 करोड़) पर वहन किया गया।

1.6.3 प्रतिबद्ध व्यय

राजस्व लेखे पर राज्य सरकार के प्रतिबद्ध व्यय में मुख्यतः वेतन एवं मजदूरी, सब्सिडी, पेंशन एवं ब्याज भुगतान पर व्यय सम्मिलित है। तालिका 1.17 और चार्ट 1.8, 2012-17 के दौरान इन अवयवों पर व्यय की प्रवृत्ति प्रस्तुत करते हैं।

तालिका 1.17: वेतन एवं मजदूरी, सब्सिडी, पेंशन तथा ब्याज भुगतानों पर व्यय के अवयव

(₹ करोड़ में)


प्रतिबद्ध व्यय के अवयव	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	
					बजट अनुमान [#]	वास्तविक
वेतन और मजदूरी, जिसमें	6,446(26)	6,934(27)	7,417(24)	8,218(20)	11,142	8,927 (19)
गैर योजना शीर्ष	6,270(25)	6,766(26)	7,193(23)	7,943(19)	10,226	8,649 (18)
योजना शीर्ष	176(1)	168(1)	224(1)	275(1)	916	278(1)
ब्याज भुगतान	2,391(10)	2,614(10)	2,929(9)	3,320(8)	4,393	4,172(9)
पेंशन	2,931(12)	3,484(13)	3,463(11)	3,990(10)	4,790	4,135(9)
सब्सिडी	270(1)	187(1)	246(1)	522(1)	2,330	1,859(4)
कुल	12,038(49)	13,219(51)	14,055(45)	16,050(39)	22,655	19,093(41)

स्रोत: झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे

कोष्ठक के आंकड़े राजस्व प्राप्तियों से प्रतिशतता को इंगित करते हैं।

* इसमें सहायता-अनुदान से भुगतान किया गया वेतन भी सम्मिलित है।

बजट अनुमान सकल आंकड़े हैं जबकि वास्तविक निवल आंकड़े हैं।



वेतन

वर्ष के दौरान वेतन एवं मजदूरी (₹8,927 करोड़), ब्याज भुगतान (₹4,172 करोड़) और पेंशन (₹4,135 करोड़) सम्मिलित रूप से राजस्व व्यय का 38 प्रतिशत लेखापित किया गया और यह राजस्व प्राप्तियों का 37 प्रतिशत था।

पेंशन

1 दिसम्बर 2004 को या उसके बाद नियुक्त राज्य सरकार के कर्मचारी नवीन पेंशन योजना (न.पें.यो.) के अंतर्गत आते हैं जो एक डिफाइंड अंशदायी पेंशन योजना है। योजना की शर्तों के अनुसार, कर्मचारी मूल वेतन एवं मँहगाई भत्ते का 10 प्रतिशत अंशदान करते हैं जिसके समतुल्य राशि राज्य सरकार द्वारा भी दी जाती है और सम्पूर्ण राशि नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपोजिटरी लिमिटेड (एन.एस.डी.एल.)/ट्रस्टी बैंक के माध्यम से नामित निधि प्रबंधक को अंतरित की जाती है।

2016-17 के दौरान राज्य सरकार ने एन.एस.डी.एल को कर्मचारी अंशदान के रूप में ₹289.26 करोड़ तथा नियोक्ता अंशदान के रूप में ₹289.44 करोड़ अंतरित किया।

राज्य के वित्त लेखे में यह पाया गया कि कर्मचारियों से कटौती तथा नियोक्ता द्वारा किये गये अंशदान की प्रविष्टि के लिये उपयुक्त लेखा शीर्ष 2008-09 में आरंभ किया गया।

दिसम्बर 2004 से नवम्बर 2009 के बीच सरकार के अंशदान के साथ कर्मचारियों से की गयी कटौती को मार्च 2010 में एन.एस.डी.एल को अंतरित किया गया। मार्च 2017 के अंत में कर्मचारियों से की गयी कुल कटौती ₹1,091.98 करोड़ तक थी जिसके विरुद्ध सरकार ने ₹1,106.02 करोड़ का अंशदान दिया। लोक लेखा शीर्ष 8342 के अंतर्गत कर्मचारियों से की गयी कुल कटौती की राशि से ₹1,082.28 करोड़ की राशि एन.एस.डी.एल को अंतरित की गयी जिससे मार्च 2017 के अंत तक ₹9.70 करोड़ बचा रहा।

ब्याज भुगतान

पिछले वर्ष के सापेक्ष ब्याज भुगतान की वृद्धि दर मुख्यतः बाजार ऋण पर ब्याज में ₹830.86 करोड़ (51 प्रतिशत) की तीव्र वृद्धि के कारण 26 प्रतिशत था। 2016-17 के दौरान ब्याज भुगतान राजस्व प्राप्तियों का नौ प्रतिशत था। 2015-16 तथा 2016-17 के दौरान ब्याज भुगतान के मुख्य घटक तालिका 1.18 में दिये गये हैं:

तालिका 1.18: ब्याज भुगतान के मुख्य घटक

(₹ करोड़ में)

ऋण के घटक	बकाया दायित्व	2015-16		बकाया दायित्व	2016-17	
		भुगतान किया गया ब्याज	भुगतान किया गया ब्याज बकाया शेष के प्रतिशत में		भुगतान किया गया ब्याज	भुगतान किया गया ब्याज बकाया शेष के प्रतिशत में
आंतरिक ऋण	43,755.57	2,968.19	7.76	43,755.57	3,817.29	8.72
भारत सरकार से ऋण व अग्रिम	2,085.49	122.93	5.89	2,085.49	118.50	5.68
लघु बचत, भविष्य निधि इत्यादि	1,197.17	221.79	17.37	1,197.17	229.21	19.15
अन्य	9,492.00	7.18	0.09	9,492.00	7.25	0.08
कुल	56,530.23	3,320.09	6.63	56,530.23	4,172.25	7.38

सब्सिडी

2016-17 के दौरान, झारखण्ड सरकार ने मुख्य रूप से मुख्य शीर्ष 3456-सिविल आपूर्ति (₹1,045 करोड़), 2401-फसल उत्पादन (₹556 करोड़), 2404-डेयरी विकास (₹ 84 करोड़) 2852-उद्योग (₹ 90 करोड़), के अंतर्गत ₹ 1,859 करोड़⁴

⁴ वित्त लेखे का परिशिष्ट II

सब्सिडी के रूप में भुगतान किया। शीर्ष 3456-सिविल आपूर्ति के अधीन प्रायोरिटी हाउसहोल्ड स्कीम, अंत्योदय अन्न योजना, नमक/चीनी का वितरण तथा प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के अंतर्गत प्रावधान के कारण सब्सिडी 2015-16 में ₹ 522 करोड़ से बढ़कर 2016-17 में ₹ 1,859 करोड़ हो गया। ऊर्जा तथा सिंचाई हेतु कोई सब्सिडी नहीं दी गयी।

1.6.4 वृहत कार्यक्रम

2016-17 के दौरान, राज्य योजना अंतर्गत 35 मुख्य फ्लैगशिप कार्यक्रमों के लिए ₹16,048 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया जिसके विरुद्ध ₹16,085 करोड़ का उपयोग किया गया। केंद्रीय योजना (कें.यो.) के अंतर्गत, वर्ष हेतु किये गये ₹9,807.46 करोड़ के बजट प्रावधान के विरुद्ध ₹6,424.51 करोड़ का उपयोग किया गया।

वर्ष 2016-17 के दौरान रा.यो. तथा कें.यो. के अंतर्गत कुछ वृहत कार्यक्रमों पर हुए बजट प्रावधानों एवं वास्तविक व्यय तालिका 1.19 में दर्शाये गये हैं:

तालिका 1.19 वृहत कार्यक्रमों पर व्यय

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	कार्यक्रमों के नाम	बजट प्रावधान	व्यय
राज्य योजना			
1	मुख्य सड़कें	3,377.60	3,374.58
2	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम- ग्रामीण सड़कों का निर्माण	1,121.79	1,112.47
3	मुख्य शहरी परिवहन परियोजना नगरीय आधारभूत संरचना	734.10	734.91
4	स्वर्ण रेखा परियोजना	585.74	592.95
5	सर्व शिक्षा अभियान	579.36	579.36
6	वार्षिक विकास कार्यक्रम हेतु झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड को ऋण	569.92	569.92
7	झारखण्ड उर्जा संचरण निगम लिमिटेड को संचरण हेतु ऋण	558.59	558.59
केंद्रीय योजना			
1	प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु सहायता अनुदान	302.08	319.20
2	स्वच्छ भारत अभियान	234.73	234.73
3	स्मार्ट सिटी	184.00	184.00
4	राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान	130.07	130.07
5	शहरी कायाकल्प मिशन	128.40	128.40

1.6.5 वित्तीय सहायता

2012-17 के दौरान राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋण एवं अनुदान के विवरण तालिका 1.20 में प्रस्तुत किये गये हैं।

तालिका 1.20: स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों को वित्तीय सहायता

(₹ करोड़ में)

संस्थानों को वित्तीय सहायता	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
पंचायती राज्य संस्थाएँ (पं.रा.सं.)	3,078.86	910.68	3,378.42	3,407.48	2,533.77
शहरी स्थानीय निकाय (श.स्था.नि.)	330.54	88.38	1,619.77	1,830.77	2,961.14
सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम	450.02	1,528.89	3,643.86	3,987.54	0.00
स्वायत्त निकाय	1,837.02	2,451.34	2,512.95	5,480.60	7,942.59
गैर-सरकारी संस्थाएँ	199.40	106.65	684.99	0.00	0.00
अन्य	1,054.48	1,335.91	564.03	184.53	6,894.52
कुल	6,950.32	6,421.85	12,404.02	14,890.92	20,332.02
राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में	29.70	27.36	39.01	40.74	45.09

स्रोत: वित्त लेखे का विवरणी-10

श.स्था.नि. एवं पं.रा.सं. को वित्तीय सहायता इस उद्देश्य हेतु विनिर्दिष्ट '3604-श.स्था.नि. एवं पं.रा.सं. को वित्तीय सहायता' शीर्ष के बजाय शहरी विकास विभाग एवं ग्रामीण विकास विभाग के नियमित सेवा शीर्षों के माध्यम से उपलब्ध कराया गया। उपरोक्त तालिका में दर्शायी गयी श.स्था.नि. एवं पं.रा.सं. की सहायता राशि में संबंधित विभागीय व्यय लेखाशीर्षों के अधीन लघु शीर्ष 191, 192, 193, 196, 197 एवं 198 अंतर्गत पंचायती राज संस्थानों एवं शहरी स्थानीय निकायों को उपलब्ध कराई गई राशि (₹1,177 करोड़) सम्मिलित नहीं है।

1.6.5.1 शहरी स्थानीय निकाय (श.स्था.नि.)

राज्य में 44 श.स्था.नि. (नगर निगम-6, नगर परिषद-19, नगर पंचायत-16, नगर पालिका-1 तथा अधिसूचित क्षेत्र समिति-2) हैं।

श.स्था.नि. को उपलब्ध कराई गई निधियों के विवरण निम्न तालिका 1.21 में दिये गये हैं:

तालिका 1.21: स्थानीय शहरी निकायों को उपलब्ध करायी गयी निधियाँ

(₹करोड़ में)

विवरण	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	कुल
राज्य की राजस्व प्राप्तियाँ (रा.प्रा.)	24,770	26,137	31,565	36,553	47,054	1,70,164
राज्य का राजस्व व्यय (रा.व्य.)	23,400	23,472	31,795	40,638	45,089	1,60,309
स्थानीय शहरी निकायों को वित्तीय सहायता	331	88	1,620	1,831	2,961	6,831
वित्तीय सहायता राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत में	1.34	0.34	5.13	4.51	6.29	4.01
वित्तीय सहायता राजस्व व्यय के प्रतिशत में	1.41	0.37	5.10	5.01	6.57	4.26
स्वयं का संग्रह ⁵	88.03	45.54	8.96	14.99	60.09 ⁶	

⁵ शहरी स्थानीय निकायों द्वारा अपने स्रोतों से संग्रहित निधि के संबंध में सूचना शहरी विकास विभाग द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। तथापि, विभिन्न श.स्था.नि. के लेखापरीक्षा के दौरान सूचनार्ये प्राप्त की गयीं।

⁶ स्वयं का संग्रह का आंकड़ा श.स्था. निकायों गोड्डा, चाईबासा, साहेबगंज, जुगसलाई, चास, झुमरीतिलैया, आदित्यपुर, सिमडेगा, चक्रधरपुर, रामगढ़, विश्रामपुर तथा राँची नगर निगम, राँची के लेखाओं की लेखापरीक्षा के दौरान प्राप्त।

द्वितीय राज्य वित्त आयोग (दिसम्बर 2009 से दिसम्बर 2014) ने शहरी स्थानीय निकायों को निधि हस्तांतरण करने के संबंध में कोई अनुशंसा नहीं किया था। तृतीय राज्य वित्त आयोग (जनवरी 2014 से जनवरी 2019) ने इस संबंध में कोई अंतरिम अनुशंसा नहीं किया है। शहरी विकास विभाग ने झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम 2011 (परिशिष्ट 1.5 भाग-क) के अंतर्गत दिये गये 18 कार्यों तथा शक्तियों के हस्तांतरण पर किये गये कई लेखापरीक्षा पृच्छाछ पर प्रतिक्रिया नहीं दिया है।

राज्य सरकार ने भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को स्थानीय निकायों (स्थानीय शहरी निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं) के लेखापरीक्षा पर तकनीकी मार्गदर्शन तथा पर्यवेक्षण (टी.जी.एस.) का दायित्व सौंपा है (अक्टूबर 2011)। तदनुसार, बिहार एवं उड़ीसा स्थानीय निधि लेखापरीक्षा अधिनियम, 1925 को मार्च, 2012 में संशोधित कर स्थानीय निधि लेखापरीक्षा के निदेशक (डी.एल.एफ.ए.) द्वारा लेखा परीक्षा करने का प्रावधान किया गया जिन्हें भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा टी.जी.एस. उपलब्ध कराना अपेक्षित था। डी.एल.एफ.ए. को कार्यशील बनाने के लिए राज्य सरकार ने 22 पद सृजित (मार्च 2013 में) किया एवं नवम्बर 2014 में डी.एल.एफ.ए. नियुक्त किया। अगस्त 2016 में डी.एल.एफ.ए. ने सूचित किया कि तीन उप लेखानियंत्रक और 14 लेखापरीक्षा पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई है। डी.एल.एफ.ए. ने पुनः सितम्बर 2016 में यह भी सूचित किया कि वे शहरी स्थानीय निकायों के लेखाओं की लेखापरीक्षा संचालित कर रहे हैं। तथापि, महालेखाकार (लेखा परीक्षा) नमूना जाँच के आधार पर स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा कर रहे हैं।

1.6.5.2 पंचायती राज संस्थाएँ

राज्य में 4,689 पंचायती राज संस्थाएँ हैं। 2012-17 के दौरान पंचायती राज संस्थाओं को जारी निधियों के विवरण नीचे दिये गये हैं।

तालिका 1.22 पंचायती राज संस्थानों को जारी निधि

(₹ करोड़ में)

विवरण	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	कुल
राज्य की राजस्व प्राप्तियाँ (रा.प्रा.)	24,770	26,137	31,565	40,638	47,054	1,70,164
राज्य का राजस्व व्यय (रा.व्य.)	23,400	23,472	31,795	36,553	45,089	1,60,309
पं.रा.सं. को वित्तीय सहायता	3,079	911	3,378	3,407	2,534	13,309
वित्तीय सहायता रा.प्रा. के प्रतिशत में	1.96	3.49	10.70	8.38	5.39	7.82
वित्तीय सहायता रा.व्य. के प्रतिशत में	2.08	3.88	10.62	9.32	5.62	8.30

राज्य सरकार ने अक्टूबर 2012 में पंचायतों को निधियों के अंतरण का आदेश जारी किया। जैसा कि परिशिष्ट 1.5 भाग-ख में दर्शाया गया है कुल नियत 29 कार्यों में से 16 कार्यों को अगस्त 2015 तक या तो सम्पूर्ण या अंशतः पं.रा.सं. को हस्तांतरित कर दिया गया है। राज्य सरकार ने झारखण्ड पंचायती राज

⁷ 24 जिला परिषद, 263 पंचायत समितियाँ और 4,402 ग्राम पंचायतें।

(बजट एवं लेखा) विनियमन 2010' अधिसूचित किया (मार्च 2011) तथा पं.रा.सं. में तदनुसार लेखांकन किया जाता है।

डी.एल.एफ.ए. ने अगस्त 2016 में सूचित किया कि तीन उप लेखानियंत्रक और 14 लेखापरीक्षा पदाधिकारी नियुक्त किये गये हैं तथा व्यावहारिक परिचालन हेतु प्रयास किये जा रहे हैं। डी.एल.एफ.ए. ने मई 2017 में सूचित किया कि पं.रा.सं. के लेखाओं की लेखापरीक्षा शुरू कर दी गयी है। तथापि, महालेखाकार (लेखापरीक्षा) अप्रैल 2012 से टी.जी.एस. व्यवस्था के अनुसार नमूना जाँच आधार पर स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा संचालित कर रहे हैं।

1.7 व्यय की गुणवत्ता

विकासात्मक व्यय (सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर व्यय) कुल व्यय का 76 प्रतिशत था।

1.7.1 लोक व्यय की पर्याप्तता

2012-13 को आधार वर्ष मानते हुए 2016-17 के दौरान विकास व्यय, सामाजिक प्रक्षेत्र व्यय और पूँजीगत व्यय के संबंध में राज्य सरकार की राजकोषीय प्राथमिकता को तालिका 1.23 विश्लेषित करता है।

तालिका 1.23: 2012-13 और 2016-17 में राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता

राज्य द्वारा राजकोषीय प्राथमिकता*	कु.व्य./ स.रा.घ.उ.	वि.व्य./ कु.व्य.	आ.से.व्य./ कु.व्य.	सा.प्र.व्य./ कु.व्य.	पूँ.व्य./ कु.व्य.	शिक्षा/ कु.व्य.	स्वास्थ्य/ कु.व्य.
सामान्य श्रेणी के राज्यों का औसत (अनुपात) 2012-2013	14.8	70.0	29.8	38.2	13.7	17.7	4.6
झारखण्ड राज्य का औसत (अनुपात) 2012-2013	16.2	68.5	35.3	33.2	14.9	15.9	3.1
सामान्य श्रेणी राज्यों का औसत (अनुपात) 2016-17	16.7	70.9	35.1	32.2	19.7	15.2	4.8
झारखण्ड राज्य का औसत (अनुपात) 2016-17	22.6	76.1	41.0	35.1	19.0	14.4	4.3

*वर्तमान मूल्यों पर स.रा.घ.उ. से प्रतिशतता के रूप में

कु.व्य.: समग्र व्यय (कुल व्यय), वि.व्य.: विकास व्यय, सा.प्र.व्य.: सामाजिक प्रक्षेत्र व्यय, आ.से.व्य.: आर्थिक सेवा व्यय पूँ.व्य.: पूँजीगत व्यय

विकास व्यय में विकास राजस्व व्यय, विकास पूँजीगत व्यय एवं संवितरित ऋण एवं अग्रिम सम्मिलित हैं।

स्रोत: स.रा.घ.उ. जैसा कि सी.एस.ओ. के वेबसाइट पर 1 अगस्त 2017 को उपलब्ध।

जैसा कि तालिका से स्पष्ट है कुल व्यय से विकास व्यय एवं आर्थिक व्यय का अनुपात सामान्य श्रेणी के राज्यों के औसत से ज्यादा था। तथापि, शिक्षा प्रक्षेत्र व्यय एवं स्वास्थ्य प्रक्षेत्र व्यय सामान्य श्रेणी के राज्यों के इन पर किये गये व्यय से कम थे।

अनुशंसा:

सरकार को शिक्षा एवं स्वास्थ्य प्रक्षेत्र पर बल देते हुए विकास व्यय को प्राथमिकता देनी चाहिए।

1.7.2 व्यय के उपयोग की दक्षता

तालिका 1.24 पिछले वर्षों के दौरान बजट की राशि और व्यय के सम्मुख वर्ष 2016-17 के दौरान राज्य के कुल व्यय के सापेक्ष विकास व्यय की प्रवृत्तियों को प्रस्तुत करता है।

तालिका 1.24: विकास व्यय

(₹ करोड़ में)

विकास व्यय के घटक	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	
					बजट आकलन*	वास्तविक
विकास व्यय						
विकास राजस्व व्यय	14,704(52)	13,512(48)	21,171(55)	24,551(47)	34,350	32,065(56)
विकास पूँजीगत व्यय	4,042(14)	4,554(16)	5,217(14)	7,588(15)	10,329	10,271(18)
विकास ऋण एवं अग्रिम	582(2)	209(1)	807(2)	7,431 ⁸ (14)	1,682	1,283(2)
कुल	19,328	18,275	27,195	39,570	46,361	43,619
विकास व्यय की वृद्धि	18.2	(-5.4)	48.8	45.5		10.2
कोष्ठक में दिये गये आंकड़े कुल व्यय (रा.व्य+पूँ.व्य.+ऋण एवं अग्रिम) के प्रतिशत को इंगित करते हैं।						
* बजट अनुमान सकल आंकड़े हैं जबकि वास्तविक निवल आंकड़े हैं।						

स्रोत: झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे तथा बजट प्रकाशन

1.7.3 चयनित सामाजिक तथा आर्थिक सेवाओं पर व्यय

तालिका 1.25 चयनित सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं में व्यय की दक्षता की प्रस्तुत करता है।

तालिका 1.25: चयनित सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं में किये गये व्यय की दक्षता

(प्रतिशत में)

सामाजिक/आर्थिक ढाँचा	2015-16			2016-17		
	कु.व्य. से पूँ.व्य. का अनुपात	रा.व्य. में हिस्सा वे. एवं म. सं. व र.*	सं. व र.*	कु. व्य. से पूँ.व्य. का अनुपात	रा.व्य. में हिस्सा वे. एवं म. सं. व र.	सं. व र.
सामाजिक सेवायें (सा.से.)						
सामान्य शिक्षा	0.10	33.53	0.01	0.39	37.51	0.00
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	15.65	32.19	0.01	21.42	38.13	0.00
जलापूर्ति, स्वच्छता तथा आवास व शहरी विकास	9.37	5.61	0.59	7.96	3.29	0.27
कुल (सा.से.)	6.44	21.01	0.22	7.61	21.72	0.11
आर्थिक सेवायें (आ.से.)						
कृषि एवं संबद्ध क्रियाकलाप	7.23	24.34	0.00	20.47	18.13	0.09
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	78.33	98.44	0.18	82.39	95.98	2.17
विद्युत और ऊर्जा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.37
परिवहन	90.90	36.21	75.84	90.99	24.22	26.01
कुल (आ.से.)	27.74	13.05	1.34	37.21	9.84	3.21
कुल (सा.से.+आ.से.)	19.18	17.86	0.66	23.55	16.72	1.42
कु.व्य.: उस प्रक्षेत्र का कुल व्यय; पूँ.व्य.: पूँजीगत व्यय; रा.व्य.: राजस्व व्यय; वे.एवं म.: वेतन एवं मजदूरी; सं.व.र.: संचालन व रख-रखाव; वित्त लेखे के अनुसार यह विस्तृत शीर्ष 05- रखरखाव एवं मरम्मत के अंतर्गत किये गये वास्तविक व्यय को प्रस्तुत करता है।						

स्रोत: झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे

⁸ उदय के अधीन डिस्कॉम्स को ₹ 5,553 करोड़ के ऋण के कारण

1.8 सरकारी व्यय एवं निवेशों का वित्तीय विश्लेषण

यह खण्ड सरकार के निवेशों और अन्य पूँजीगत व्यय का व्यापक वित्तीय विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

1.8.1 सिंचाई योजनाओं के वित्तीय परिणाम

13^{वें} एवं 14^{वें} वित्त आयोग ने सिंचाई परियोजनाओं के वाणिज्यिक व्यवहारिकता के मूल्यांकन हेतु इन पर लागत वसूली दर निर्धारित किया था। तथापि, जैसा कि राज्य के वित्त लेखे से उद्घाटित हुआ कि झारखण्ड सरकार द्वारा कोई भी सिंचाई योजना वाणिज्यिक घोषित नहीं किया गया है।

वित्त लेखे के परिशिष्ट-VIII (i) के अनुसार 2016-17 के अंत तक झारखण्ड में ₹1,707.49 करोड़ के कुल पूँजीगत परिव्यय के साथ 42 सिंचाई परियोजनाएँ हैं, जिसमें से ₹1,543.47 करोड़ इन परियोजनाओं पर कार्यचालन व्यय एवं रखरखाव शुल्कों पर खर्च किया गया। 2016-17 के दौरान, इन परियोजनाओं से राजस्व के रूप में ₹62.19 करोड़ प्राप्त हुए।

अनुशंसा:

राज्य सरकार को वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार लागत वसूली हेतु सिंचाई परियोजनाओं को वाणिज्यिक घोषित करने हेतु उपाय शुरू करनी चाहिये।

1.8.2 अपूर्ण परियोजनाएँ

अपूर्ण परियोजनाएँ जिन्हें 31 मार्च 2017 या इससे पूर्व पूर्ण करना था से संबंधित विभाग-वार सूचना तालिका 1.26 में दी गयी है।

तालिका 1.26: अपूर्ण परियोजनाओं की विभागवार रूप रेखा

(₹ करोड़ में)

विभाग	अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	परियोजनाओं की अनुमानित लागत	31.3.2017 तक संचयी व्यय
भवन निर्माण	08	49.32	35.58
पेय जल एवं स्वच्छता	23	546.74	534.50
पथ निर्माण	134	3,811.45	2,397.16
ग्रामीण कार्य	39	196.16	133.72
जल संसाधन	76	2,456.72	1,676.56
कुल	280	7,060.39	4,777.52

स्रोत: वित्त लेखे 2016-17 का परिशिष्ट IX

अपूर्ण कार्य पर निधियों का अवरोध व्यय की गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। परियोजनाओं/कार्यों को पूरा किये जाने में विलंब न केवल लागत वृद्धि के जोखिम को आमंत्रित करता है बल्कि राज्य को इच्छित लाभ से वंचित भी करता है।

अग्रतर, यह अवलोकित हुआ कि उपरोक्त तालिका में दर्शाये गये 280 परियोजनाओं में से आठ में ₹341.87 करोड़ का अनुमानित लागत समय पर परियोजनाओं के पूरा नहीं किये जाने के कारण संशोधित अनुमान में बढ़कर

₹460.23 करोड़ हो गया। शेष परियोजनाओं का संशोधित लागत इन परियोजनाओं का विस्तृत विवरण विभागीय अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण राज्य के वित्त लेखे में नहीं दर्शाया गया।

तथापि, उपरोक्त तालिका में सम्मिलित सड़क निर्माण विभाग के ₹300.22 करोड़ लागत के आठ⁹ कार्यों की भौतिक प्रगति 2017-18 के दौरान पूर्ण हो गयी।

अजय बैराज परियोजना के कार्य, जिसे राज्य के लेखे में भौतिक रूप से पूर्ण दर्शाया गया, को कार्यान्वित कर रहे सात प्रमंडलों में से छः में पूर्ण कर लिया गया तथा एक प्रमंडल में मिट्टी कार्य का सिर्फ एक छोटा भाग अपूर्ण है।

अनुशंसा:

राज्य के लोक निर्माण विभाग को परियोजनाओं को समय से पूरा किया जाना सुनिश्चित करने हेतु एक क्रियाविधि विकसित करनी चाहिए।

1.8.3 निवेश एवं प्रतिफल

राज्य के 31 मार्च 2017 को समाप्त वार्षिक लेखे के अनुसार नवम्बर 2000 में राज्य की स्थापना के बाद से सरकार ने ₹273.83 करोड़ का निवेश एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (₹45.73 करोड़), 12 सरकारी कम्पनियों (₹100.30 करोड़) एवं 18 को-ऑपरेटिव, निगमों एवं समितियों (₹127.80 करोड़) में किया (तालिका 1.27)। तथापि, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम लेखाओं और राज्य के स्वीकृति आदेशों के सत्यापन के दौरान लेखापरीक्षा ने पाया कि गलत बजटीय वर्गीकरण अर्थात् उपयुक्त लघुशीर्ष के अंतर्गत निवेश नहीं किये जाने तथा शेयर कैपिटल में निवेश को सहायता अनुदान के रूप में दिखाये जाने के कारण 2000-2016 के दौरान ₹124.54¹⁰ करोड़ का निवेश सरकारी लेखाओं में कम दर्शाया गया था।

⁹ 1) दुमका एयरपोर्ट से चकलता रोड का जारी रहना 2) बेड़ो-लोहरदगा रोड 0 से 39.10 कि.मी. का सुदृढीकरण, 3) सिमडेगा सवाई-किनकेल-कुरडेग-कुटमाकछार रोड का चौड़ीकरण व सुदृढीकरण 4) मनोहरपुर-आनंदपुर-बानो-कोलेबीरा रोड का चौड़ीकरण व सुदृढीकरण 5) पालकोट नाथपुर कोनबीर रोड 0 से 16.84 कि.मी. का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण 6) कामडारा-बेड़ो रोड 0 से 23.60 कि.मी. का चौड़ीकरण व सुदृढीकरण 7) जोड़ी-प्रतापपुर रोड 0 से 18 कि.मी. का चौड़ीकरण व सुदृढीकरण, 8) जादूगोड़ा सुंदरनगर रोड का चौड़ीकरण व सुदृढीकरण।

¹⁰ ग्रेटर राँची विकास प्राधिकरण- ₹ 39.14 करोड़; झारखण्ड हिल एरिया लिफ्ट इरिगेशन कॉरपोरेशन-₹ 5 करोड़; झारखण्ड शहरी परिवहन निगम लि.- ₹ 15 करोड़; झारखण्ड राज्य कृषि विकास निगम लि.- ₹ 2 करोड़; झारखण्ड मेडिकल एवं स्वास्थ्य आधारभूत संरचना विकास तथा क्रय निगम लि.- ₹ 5 करोड़; झारखण्ड शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम- ₹ 35 करोड़; झारखण्ड सिल्क टेक्सटाइल एवं हस्तकरघा विकास निगम लि.- ₹ 10 करोड़; झारखण्ड उर्जा विकास निगम लि.-₹ 8.40 करोड़ एवं झारखण्ड राज्य फूड एवं सिविल आपूर्ति निगम लि.- ₹ 5 करोड़।

यह पाया गया कि राज्य की पाँच कंपनियों¹¹ द्वारा ₹22.98 करोड़ के लाभ के बाद भी 2016-17 के दौरान राज्य के निवेश पर प्रतिफल 'शून्य' था। तथापि, सरकार ने 2012-17 के दौरान लिये गये अपने उधार पर 6.63 से 8.76 प्रतिशत तक के औसत दरों पर ब्याज का भुगतान किया।

तालिका 1.27: निवेशों पर लाभांश

निवेश/प्रतिफल/उधार की लागत	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
वर्ष के अंत में निवेश (₹ करोड़ में)	182.08	226.22	241.25	261.70	273.83
प्रतिफल (₹ करोड़ में)	15.00	18.00	शून्य	0.47	शून्य
प्रतिफल (प्रतिशत में)	7.99	7.76	शून्य	0.18	शून्य
सरकार के लिये गये उधार पर ब्याज का औसत दर (प्रतिशत में)	8.76	7.22	7.22	6.63	6.76
ब्याज दर और प्रतिफल में अन्तर (प्रतिशत में)	0.77	0.54	7.22	6.45	6.76
बाजार से लिये गये उधार के ब्याज दर और प्रतिफल पर प्राप्त ब्याज के बीच अंतर के कारण अनुमानित हानि (₹ करोड़ में)	1.40	1.22	17.42	16.88	18.51

स्रोत : झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे - विवरण 19

विगत पाँच वर्षों में राज्य सरकार ने सरकार के लिये गये उधार पर ब्याज और निवेश पर प्रतिफल के अंतर के रूप में ₹55.43 करोड़ का अनुमानित नुकसान वहन किया, जिसमें केवल 2016-17 में ₹18.51 करोड़ का अनुमानित नुकसान था। इस कारण राज्य सरकार के निवेश पर प्रतिफल नकारात्मक है।

लेखापरीक्षा ने आगे अवलोकित किया कि पूर्ववर्ती बिहार राज्य द्वारा 14 नवम्बर 2000 तक सरकारी कंपनियों, को-ऑपरेटिव संस्थाओं व स्थानीय निकायों, वैधानिक निगमों और संयुक्त स्टॉक कंपनियों में किये गये निवेश (₹2,389.55 करोड़) को उत्तरवर्ती बिहार तथा झारखण्ड राज्यों के बीच संविभाजित नहीं किया गया है।

अनुशंसा:

झारखण्ड सरकार को पूर्ववर्ती बिहार राज्य द्वारा विभिन्न संस्थाओं में निवेश के संविभाजन हेतु बिहार सरकार से सम्पर्क करनी चाहिये।

1.8.4 राज्य सरकार द्वारा ऋण व अग्रिम

उपरोक्त संस्थाओं में शेयर निवेशों के अतिरिक्त, राज्य सरकार इन संस्थाओं में से अधिकांश को और उनके कर्मचारियों को ऋण व अग्रिम भी प्रदान करती रही है। तालिका 1.28 31 मार्च 2017 को बकाया ऋण व अग्रिमों तथा ब्याज प्राप्तियाँ के साथ-साथ पिछले पाँच वर्षों के दौरान ब्याज भुगतानों को प्रस्तुत करती है।

¹¹ 1) झारखण्ड राज्य बेवरेजेज कॉर्पोरेशन लि. 2) झारखण्ड औद्योगिक आधारभूत संरचना विकास निगम लि. 3) ग्रेटर राँची विकास प्राधिकरण लि. 4) झारखण्ड सिल्क, टेक्सटाइल एवं हस्तकरघा विकास निगम लि. 5) झारखण्ड पुलिस हाउसिंग निगम लि.।

तालिका 1.28: राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋण व अग्रिम

(₹ करोड़ में)

ऋण/ब्याज प्राप्ति/ली गयी उधारों की लागत	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
ऋणों का आरंभिक शेष (₹ करोड़ में)	7,190	7,748	7,947	8,738	16,187
वर्ष के दौरान दिये गये अग्रिम की राशि (₹ करोड़ में)	601	222	824	7,480	1,335
वर्ष के दौरान वसूल की गई राशि (₹ करोड़ में)	43	23	33	31	39
वसूली, बकाया ऋण व अग्रिम के प्रतिशत में	0.6	0.3	0.4	0.4	0.2
अंतशेष	7,748	7,947	8,738	16,187	17,483
निवल योग (₹ करोड़ में)	558	199	791	7,449	1,297
कुल ब्याज प्राप्तियाँ (₹ करोड़ में)	0.95	2.74	15.72	4.33	3.88
ब्याज प्राप्तियाँ, बकाया ऋण व अग्रिम के प्रतिशत में	0.01	0.03	0.20	0.05	0.02
सरकार के लिये गये उधार पर औसत ब्याज दर (प्रतिशत)	8.76	7.22	7.22	6.63	6.76
बाजार से लिये गये उधार पर ब्याज दर और ऋणों पर प्राप्त ब्याज के बीच अंतर (प्रतिशत)	8.75	7.19	7.02	6.58	6.74
बाजार से लिये गये उधार पर ब्याज दर और ऋणों पर प्राप्त ब्याज के बीच अंतर के कारण हानि (₹ करोड़ में)	53	16	58	492	90

स्रोत : झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे

विगत पाँच वर्षों में राज्य सरकार ने ब्याज, जो ऋणों पर प्राप्त हुआ और जो लिये गये अपने उधार पर सरकार ने दिया, में अंतर के कारण ₹709 करोड़ की हानि वहन किया। इसमें से ₹90 करोड़ की हानि केवल 2016-17 में हुआ।

मार्च 2017 के अंत तक कुल बकाया ऋण (₹17,483 करोड़) का एक महत्वपूर्ण हिस्सा उदय के तहत डिस्कॉम्स को ऋण (₹5,553 करोड़) सहित डिस्कॉम्स (₹16,684 करोड़) और शहरी स्थानीय निकाय (₹674 करोड़) को ऋण से संबंधित है जिसने 2015-16 में महत्वपूर्ण वृद्धि किया।

मार्च 2017 के अंत तक ऋणी संस्थाओं के बकाये की राशि ₹1,527.44 करोड़ (मूलधन: ₹518.24 करोड़ तथा ब्याज: ₹1,009.20 करोड़) था।

2001-02 में झारखण्ड हिल एरिया लिफ्ट इरिगेशन कॉरपोरेशन (₹5 करोड़) तथा 2011-12 में झारखण्ड राज्य फूड एंड सिविल सप्लाइज़ कॉरपोरेशन लि. (₹44 करोड़) को प्रदान किए गए ऋण को सरकारी लेखे में पूँजीगत क्षेत्र के बदले राजस्व क्षेत्र के अंतर्गत गलत बजटीय वर्गीकरण के कारण कम दर्शाया गया। झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड (झा.रा.वि.बो.) को दिये गये ₹7,208 करोड़ के ऋण को सरकारी लेखे में बोर्ड से प्राप्य के रूप में दर्शाया जाना जारी था, जबकि जनवरी 2014 में ही बोर्ड को चार पृथक कंपनियों में विभाजित कर दिया गया था।

अनुशंसा:

सरकार को संस्थानों/संगठनों जो मूलधन तथा ऋणों पर ब्याज का भुगतान नहीं कर रही हैं से बकाया ऋणों की वसूली के लिये कदम उठाना चाहिए तथा विफल होने पर इन ऋणों को अपलेखित कर देना चाहिए क्योंकि ऋण वसूली की संभावना, यदि अवास्तविक न हो तो भी नगण्य है।

सरकार को सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के शेयर कैपिटल में निवेश के लिए बजट का सही वर्गीकरण सुनिश्चित करना चाहिए। अग्रतर, राज्य सरकार को उन कंपनियों में निवेश की समीक्षा करनी चाहिए जिनका वित्तीय प्रदर्शन पूँजी के उधार लागत को भी पूरा करने में सक्षम नहीं है।

1.8.5 रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेष का निवेश

वर्ष के दौरान रोकड़ शेष एवं राज्य सरकार द्वारा किए गए निवेशों का विवरण तालिका 1.29 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.29: रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेष का निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2016 की स्थिति	31 मार्च 2017 की स्थिति
रोकड़ शेष	1,904.72	1,947.85
रोकड़ शेष से निवेश ('क' से 'ग' तक)	2,102.24	1,439.09
क. भारत सरकार के कोषागार विपत्र	2,102.24	1,439.09
ख. भारत सरकार की प्रतिभूति	शून्य	शून्य
ग. अन्य निवेश	शून्य	शून्य
निवेशों पर प्राप्त ब्याज	117.27	117.01
रिजर्व बैंक में जमा	(-)203.93	502.26
विभागीय रोकड़ शेष	6.41	6.50

स्रोत : झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे

रोकड़ शेष को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारत सरकार के ट्रेजरी विपत्रों में निवेश किया गया।

1.9 परिसंपत्तियाँ एवं दायित्व

1.9.1 परिसंपत्तियों एवं दायित्वों की वृद्धि एवं संयोजन


सरकारी लेखांकन प्रणाली में सरकारी स्वामित्व के अचल परिसंपत्तियों अर्थात् भूमि एवं भवनों के विस्तृत लेखांकन का प्रावधान नहीं है। तथापि इन्हें सरकार के वित्तीय दायित्वों और वहन किये गये व्यय से सृजित परिसंपत्तियों के माध्यम से दर्शाया जाता है। 31 मार्च 2016 के तदनुरूप स्थिति से तुलना करते हुए परिशिष्ट 1.4 भाग-ख 31 मार्च 2017 को ऐसे दायित्वों एवं परिसंपत्तियों का सार प्रस्तुत करता है। दायित्वों में जहाँ मुख्यतः आंतरिक उधार, भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम, लोक लेखे से प्राप्तियाँ और आरक्षित निधि शामिल

है, वहीं परिसंपत्तियों में मुख्यतः पूँजीगत परिव्यय एवं राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिम तथा रोकड़ शेष शामिल हैं।


झारखण्ड म.रा.नी. अधिनियम, 2007 राज्य के कुल दायित्वों को राज्य की संचित निधि और राज्य के लोक लेखा के अधीन दायित्व के रूप में परिभाषित करता है जिसमें केंद्र सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम, खुले बाजार से लिया गया उधार, वित्तीय संस्थाओं से ऋण, अल्प बचतों के लोक लेखा शेष, आरक्षित निधि, जमा इत्यादि सम्मिलित है।

1.9.2 राजकोषीय दायित्व

राज्य के बकाये राजकोषीय दायित्व की प्रवृत्तियाँ परिशिष्ट 1.3 में प्रस्तुत की गयीं हैं। तथापि, 2015-16 एवं 2016-17 वर्षों के दौरान राजकोषीय दायित्व के संयोजन क्रमशः चार्ट 1.9 एवं चार्ट 1.10 में प्रस्तुत किया गया है।



स्रोत: झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे



स्रोत: झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे

तालिका 1.30: राजकोषीय दायित्व की प्रवृत्ति : आधारभूत मापदंड

(₹ करोड़ में)

अवयव	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	सी.ए.जी.आर.
आंतरिक ऋण	25,202	27,940	32,755	43,756	48,682	17.89
भारत सरकार से ऋण व अग्रिम	2,124	2,092	2,087	2,085	2,162	0.44
लोक लेखे दायित्व	7,543	7,562	8,727	10,689	15,982	20.65
कुल राजकोषीय दायित्व	34,869	37,594	43,569	56,530	66,826	17.66
राजकोषीय दायित्वों में वृद्धि (प्रतिशत)	13.7	7.8	15.9	29.7	18.2	लागू नहीं
वर्तमान मूल्य पर स.रा.घ.उ. से राजकोषीय दायित्व (प्रतिशत)	20.0	19.9	19.9	24.4	26.4	लागू नहीं
स्थिर मूल्य पर स.रा.घ.उ. से राजकोषीय दायित्व (प्रतिशत)	21.4	22.7	26.3	30.3	31.4	लागू नहीं
राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय दायित्व	140.77	143.83	138.03	139.1	142.0	लागू नहीं
राजस्व प्राप्तियों के संदर्भ में उत्प्लावकता	1.30	1.42	0.76	1.03	1.15	लागू नहीं

स.रा.घ.उ. से राजकोषीय दायित्व का अनुपात राज्य के लिए 14^{वें} वित्त आयोग द्वारा किये गये मानक अनुमान (25.16 प्रतिशत) की तुलना में 2016-17 में 26.4 प्रतिशत था।

अविभाजित बिहार के वित्तीय दायित्वों को उत्तरवर्ती राज्यों के बीच संविभाजित किया जाना अभी शेष है।

अनुशंसा:

राज्य को सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्य के वित्तीय दायित्वों संबंधी 14^{वें} वित्त आयोग के अनुमानों को प्राप्त किया जाये।

1.9.3 हास निधि

12^{वें} वित्त आयोग की अनुशंसाओं का पालन करते हुए, राज्य ने बैंक से ऋण, राष्ट्रीय लघु बचत निधि आदि सहित सभी ऋणों के परिशोधन हेतु एक समेकित हास निधि सृजित किया है। अग्रतर, 12^{वें} वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार, वर्ष के प्रारंभ में बकाया दायित्वों का 0.50 प्रतिशत न्यूनतम वार्षिक अंशदान इस निधि में अंतरित करना अपेक्षित था।

झारखण्ड सरकार के पास वर्ष के प्रारंभ तक ₹56,530.48 करोड़ का बकाया ऋण था, जिसके लिए निधि में कम से कम ₹282.65 करोड़ की राशि अंतरित करना आवश्यक था, जिसके विरुद्ध, झारखण्ड सरकार ने 2016-17 के दौरान बजट में ₹200 करोड़ का प्रावधान किया। तथापि, बजट प्रावधान करने के बावजूद 2016-17 में कोई भी राशि निधि में अंतरित नहीं की गयी।

अनुशंसा:

झारखण्ड सरकार को 12^{वें} वित्त आयोग की अनुशंसा का अनुपालन करना चाहिए तथा ऋण के परिशोधन हेतु हास निधि में आवश्यक राशि अंतरित करना चाहिए।

1.9.4 राज्य आपदा मोचन निधि (रा.आ.मो.नि.)

मार्च 2017 तक रा.आ.मो.नि. में ₹1,259.21 करोड़ का अंतिम शेष था। रा.आ.मो.नि. दिशानिर्देश 2010 के कंडिका 19 एवं 20 के अनुसार, राज्य कार्यकारी समिति द्वारा निधि के अंतर्गत राशियों का (क) केन्द्र सरकार दिनांकित प्रतिभूतियाँ (ख) ऑक्शण्ड ट्रेजरी बिल्स तथा (ग) ब्याज अर्जित करनेवाले जमा और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंको में जमा प्रमाणपत्र में निवेश किया जाना चाहिए। तथापि, सरकार ने दिशानिर्देश के अनुसार कार्य नहीं किया। रा.आ.मो.नि. दिशानिर्देश के अनुसार, सरकार को निवेश नहीं किये गये शेष पर ओवरड्राफ्ट पर भुगतये ब्याज की दर से ब्याज का भुगतान करना था। तथापि, झारखण्ड सरकार ने रा.आ.मो.नि. को इसके सृजन के समय से ही किसी ब्याज का भुगतान नहीं किया। 2010-17 अवधि हेतु लागू ब्याज की दरों पर इसकी अनुमानित राशि ₹403.63 करोड़ परिकलित होती है। इसमें से, केवल 2016-17 हेतु भुगतान न किये गये ब्याज की राशि ₹74.50 करोड़ थी परिणामतः उस वर्ष में राजस्व आधिक्य अत्योक्ति और राजकोषीय घाटे की न्यूनोक्ति हुई। इस तरह भुगतान नहीं किये गये ब्याज ने राज्य सरकार के दायित्वों को भी उस सीमा तक बढ़ा दिया।

अनुशंसा:

राज्य को इस निधि के अंतर्गत पड़ी विशाल राशि को दिशानिर्देश के अनुसार निवेश करना चाहिए।

1.9.5 प्रत्याभूतियों की स्थिति - आकस्मिक दायित्व

भारत का संविधान प्रावधान करता है कि कोई राज्य, भारत की सीमा के भीतर, अपने संचित निधि की प्रतिभूति पर, ऐसी सीमा जो समय-समय पर उसके विधानसभा के अधिनियम द्वारा निर्धारित हो उधार ले सकता है और ऐसी सीमा के अंदर जो तय किया जाये प्रत्याभूति दे सकता है।

12^{वें} वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार, झारखण्ड सरकार को वर्ष के प्रारंभ में बकाया प्रत्याभूति के 0.50 प्रतिशत न्यूनतम वार्षिक अंशदान के साथ प्रत्याभूति ऋणमुक्ति निधि (प्रत्या.ऋ.नि.) गठित करना था। तदनुसार, झारखण्ड सरकार को प्रत्या.ऋ.नि. सृजित करना और 2005-06 (12^{वें} वित्त आयोग की अवधि की शुरुआत) से 2016-17 तक ₹6.32¹² करोड़ निधि में अंतरित करना

¹² झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा खरीदी गयी बिजली के विरुद्ध मासिक विपत्रों के भुगतान हेतु दामोदर घाटी निगम को ₹157.15 करोड़ बकाया प्रत्याभूति के विरुद्ध

था, जिसमें वह विफल रहा। अंतरित न की गयी राशि में से ₹0.79 करोड़ केवल 2016-17 से संबंधित था।

तथापि, राज्य सरकार ने प्रत्याभूति ऋणमुक्ति निधि सृजित नहीं किया है।

अनुशंसा:

राज्य सरकार को 12^{वें} वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार प्रत्याभूति ऋणमुक्ति निधि का सृजन तथा संचालन करना चाहिए।

1.10 ऋण प्रबंधन

1.10.1 ऋण की रूपरेखा

राज्य सरकार के ऋण के परिमाण के अलावे विभिन्न संकेतक जो राज्य की ऋण वहनीयता¹³ को निर्धारित करते हैं का विश्लेषण महत्वपूर्ण है। यह खण्ड ऋण स्थिरीकरण¹⁴, गैर-ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता¹⁵, उधार ली गयी निधियों की निवल उपलब्धता¹⁶, ब्याज भुगतानों का भार (राजस्व प्राप्ति से ब्याज भुगतान के अनुपात द्वारा मापित) एवं राज्य सरकार के प्रतिभूतियों के परिपक्वता विवरण के संदर्भ में राज्य सरकार के ऋण वहनीयता का मूल्यांकन करता है।

1.10.2 ऋण वहनीयता

तालिका 1.31 इन सूचकों के अनुसार वर्ष 2012-13 से प्रारंभ करते हुए पाँच वर्षों की अवधि के लिये राज्य के ऋण वहनीयता का विश्लेषण करता है।

¹³ समय की एक अवधि में एक नियत ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात को बरकरार रखने की क्षमता ही ऋण वहनीयता है। यह इसके ऋण की सेवा की क्षमता के बारे में महत्व को प्रस्तुत करता है। इसलिए, ऋण वहनीयता चालू या प्रतिबद्ध दायित्व के निर्वहन के लिए नगद परिसंपत्तियों की पर्याप्तता और अतिरिक्त उधार की लागत एवं ऐसे उधार से लाभ के बीच संतुलन रखने की क्षमता से संबंधित है। इसका तात्पर्य है कि राजकोषीय घाटे में चढ़ाव ऋण की सेवा की क्षमता में वृद्धि के साथ मेल खाता है।

¹⁴ स्थिरता के लिए आवश्यक शर्त यह स्पष्ट करता है कि यदि अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर ब्याज दर या लोक उधार लागत से बढ़ता है तो ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात के स्थिर रहने की संभावना होती है यदि प्राथमिक शेष या तो शून्य या धनात्मक हो या थोड़ा ऋणात्मक हो।

¹⁵ वृद्धिशील ब्याज दायित्वों और वृद्धिशील प्राथमिक व्यय को पूरा करने के लिए राज्य की वृद्धिशील गैर-ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता। ऋण वहनीयता उल्लेखनीय रूप से सुसाध्य हो सकता है यदि वृद्धिशील गैर-ऋण प्राप्तियाँ वृद्धिशील ब्याज दायित्व और वृद्धिशील प्राथमिक व्यय को पूरा कर सके।

¹⁶ कुल ऋण प्राप्तियों से ऋण विमोचन (मूलधन+ब्याज भुगतान) के अनुपात के रूप में परिभाषित और उधार निधियों की निवल उपलब्धता को दर्शाते हुए ऋण विमोचन में उपयोगिता ऋण प्राप्तियों के फैलाव को इंगित करता है।

तालिका 1.31: ऋण वहनीयता : सूचक और प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

ऋण वहनीयता के सूचक	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात	20.0	19.9	19.9	24.4	26.4
वृद्धिशील गैर ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता (संसाधन अंतराल)*	(-39)	1,275	(-2,885)	4,313	(-2,113)
उधार निधियों की निवल उपलब्धता	1,814	110	3,046	9,641	6,224
ब्याज भुगतान का भार (ब्याज भुगतान/राजस्व प्राप्तियाँ अनुपात)	10	10	9.28	8.17	8.87
राज्य ऋण की परिपक्वता का विवरण (वर्षों में)					
0 - 1	1,381(5)	1,453(5)	1,590(4)	1,338(3)	2,123(4)
1 - 3	3,031(11)	2,916(10)	3,368(10)	4,535(10)	5,226(10)
3 - 5	3,358(12)	4,373(14)	5,032(14)	4,236(9)	4,224(8)
5 - 7	5,009(19)	4,160(14)	3,723(11)	7,857(17)	9,579(19)
7 व अधिक	14,547(53)	17,131(57)	21,129(61)	27,875(61)	29,693(58)
कुल	27,326	30,033	34,842	45,841	50,845

कुल के प्रतिशत को कोष्ठक में दर्शाया गया है।

*फार्मूला परिशिष्ट 1.2 में है।

2016-17 के दौरान, 26.4 प्रतिशत का ऋण-स.रा.घ.उ अनुपात 14^{वें} वि.आ. द्वारा मानक अनुमान के रूप में निर्धारित 25.16 प्रतिशत से अधिक था और बजट दस्तावेज में निर्धारित लक्ष्य (24.13 प्रतिशत) से उल्लेखनीय रूप से अधिक था। संसाधन अंतराल में महत्वपूर्ण अंतर्वाषिक उतार चढ़ाव 2012-17 अवधि के दौरान राज्य द्वारा गैर ऋण प्राप्तियों के अस्थिर संग्रहण को इंगित करता है।

तालिका 1.32: उधार निधियों की निवल उपलब्धता

(₹ करोड़ में)

विवरण	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
लोक ऋण तथा अन्य दायित्व के अंतर्गत प्राप्ति	14,718	12,840	19,808	28,482	19,193
लोक ऋण तथा अन्य दायित्वों के अंतर्गत पुनर्भुगतान (मूलधन व ब्याज)	12,904	12,730	16,762	18,841	12,969
उपलब्ध निवल निधि	1,814	110	3,046	9,641	6,224
लोक ऋण तथा अन्य दायित्व के अंतर्गत प्राप्तियों को उपलब्ध निवल निधि का प्रतिशत	12.32	0.86	15.38	33.85	32.43

2015-16 में 191 प्रतिशत वृद्धि के विरुद्ध 2016-17 के दौरान, उधार निधि की निवल उपलब्धता पिछले वर्ष से 35 प्रतिशत तक घटा। 2015-16 के दौरान यह बढ़ोत्तरी ऊर्जा प्रक्षेत्र हेतु उदय बाँड पर निधि के उधार (₹5,553 करोड़) लेने के कारण था।



पिछले वर्ष के संदर्भ में बिना ब्याज वाले जमा की कम प्राप्ति (₹1,519 करोड़ से), आंतरिक उधार में कमी (₹364 करोड़ से) और भारत सरकार से ऋण की कम प्राप्ति (₹133 करोड़) के कारण उधार निधि की निवल उपलब्धता 2013-14 के दौरान निम्न थी।

यह अवलोकित किया गया कि लिये गये उधार के अधीन प्राप्तियों के संदर्भ में उधार निधियों की निवल उपलब्धता की प्रतिशतता अन्य पड़ोसी राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश (25.75 प्रतिशत), मध्य प्रदेश (30.51 प्रतिशत), बिहार (19.15 प्रतिशत) और छत्तीसगढ़ (25.44 प्रतिशत) की तुलना में झारखण्ड (32.43 प्रतिशत) के मामले में उच्चतर था जो राज्य में पूँजीगत कार्यों हेतु उधार निधियों की उपलब्धता का सूचक था।

1.11 राजकोषीय असंतुलन

1.11.1 घाटे की प्रवृत्तियाँ

चार्ट 1.11 एवं चार्ट 1.12 वर्ष 2012-17 अवधि में घाटे के संकेतकों की प्रवृत्तियों को प्रस्तुत करता है।



राज्य 2016-17 में वास्तविक बजट अनुमानों से कम राजस्व व्यय करते हुए ₹1,965 करोड़ का राजस्व आधिक्य दिखाने में सफल रहा (आर्थिक सेवाओं के अधीन ₹399 करोड़ अधिक व्यय के बावजूद सामान्य सेवाओं के अधीन ₹1,389 करोड़ तथा सामाजिक सेवाओं के अधीन ₹2,684 करोड़ तक)।

यद्यपि राज्य ने 2012-17 के दौरान, 2014-15 के अतिरिक्त, राजस्व घाटे को शून्य तक घटाने के लक्ष्य (राज्य एफ.आर.बी.एम. अधिनियम और राज्य वित्त आयोगों की अनुशंसाओं के अनुसार) को प्राप्त कर लिया, तथापि 2.76 प्रतिशत के लक्ष्य के विरुद्ध 2016-17 में स.रा.घ.उ. से राजस्व आधिक्य अनुपात का 0.8 प्रतिशत ही प्राप्त कर सका। 14^{वें} वित्त आयोग के 3.50 प्रतिशत मानक तथा बजट दस्तावेज में निर्धारित 2.22 प्रतिशत के लक्ष्य के विरुद्ध मार्च 2017 के अंत तक स.रा.घ.उ. से राजकोषीय घाटे का अनुपात 4.02 प्रतिशत था।

अंतर्वार्षिक उतार चढ़ाव के पश्चात 2016-17 में प्राथमिक घाटा स.रा.घ.उ. का (-)2.4 प्रतिशत था।

अनुशंसा:

सरकार को बजट में अनुमानित तथा 14^{वें} वित्त आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति सुनिश्चित करना चाहिए।